राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 09] चौदहवीं विधान सभा के नवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02

मंगलवार,

24 अक्टूबर 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। सबका स्वागत। नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था, अध्यक्ष महोदय, अनुमति प्रदान करें तो। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। वो निलम्बन के बारे में कर रहे हैं, फिर आपको दूंगा। निलम्बन के बारे में।

निलम्बन निरस्तीकरण

हनुमान बेनीवाल व मनोज न्यांगली, सर्वश्री, सदस्य, का निलम्बन निरस्तीकरण

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि पिछले सत्र के दौरान कुछ माननीय सदस्यों को सदन से बहिष्कृत किया गया था और उदारमना हृदय आपने कांग्रेस के माननीय सदस्यों को अनुगृहीत कर लिया, सदन में प्रवेश दे दिया। मैं माफी चाहते हुए निवेदन करता हूं कि दो माननीय सदस्य और बहिष्कृत हैं, उनके लिए मेरा आग्रह है कि उनको भी सदन में बैठने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बारे में सहमति व्यक्त की है कि जो दो सदस्य निलम्बित हैं, उनका निलम्बन समाप्त कर दिया

(श्री अध्यक्ष)

जाए। मैं घोषणा करता हूं कि दोनों का निलम्बन समाप्त किया जाता है, वे आकर यहां बैठ सकते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, हाउस से कराएं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हां, सॉरी, सॉरी।

क्या सदन की अनुमति है कि दोनों का निलम्बन समाप्त किया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से निलम्बन समाप्त किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: पहले आप प्रतिपक्ष के नेता को बोल लेने दो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो बोल लेना, आप तो बोल लिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस तरीके से हाउस के अन्दर ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रश्न काल के बाद नहीं? प्रश्न काल के बाद हो सकता है न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो राजस्थान का इश्यु है, वो किसान का मुद्दा है, अध्यक्ष महोदय। किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान बच नहीं सकता...

श्री अध्यक्ष: आप एक घंटे प्रश्न काल चलने दें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज किसान कर्जे से दबा हुआ है। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की आ गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ है। जवाब आ जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल के अन्दर यह क्या है ...(व्यवधान)... जब विषय पर उठायें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं। सरकार का कोई भी नुमाइन्दा किसान के आंसू पौंछने के लिए गया नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय, प्रतिपक्ष का स्थगन प्रस्ताव विचारार्थ है, स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा उठेगी तो जवाब दे देंगे। स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने किसान को धोखे में रख कर किसान की कोई सुनते ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सदन की नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ हो। आप सम्पूर्ण कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनकी आपस की अनबन के कारण सदन का समय जाया हो रहा है। माननीय कांग्रेस के सचेतक गोविन्द जी डोटासरा का स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ है और आसन ने अनुमति दे रखी है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष और आपके सचेतक के बीच की लड़ाई है, इनके आपस के झगड़े का, यह सदन में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... आपके गोविन्द सिंह जी डोटासरा का स्थगन प्रस्ताव है और जब उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब आप बोल देना। अभी आप इसका फायदा उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बीच में आप लाभ लेने केलिए खड़े हो गये। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि इनको बीच में किसी भी प्रकार का लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान)... इनके, कांग्रेस के सचेतक का जब स्थगन प्रस्ताव है और उस पर चर्चा होगी ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑवर होने दें, प्रश्न काल चलने दें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ हो। इस पर सरकार जवाब दे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था नियमों और प्रक्रियाओं में यह व्यवस्था है, आज 50 में स्थगन प्रस्ताव आया है माननीय गोविन्द सिंह डोटासरा का और आसन ने बड़ी सहृदयता से उसमें अनुमति दी है। वो स्थगन प्रस्ताव जब आप पुकारेंगे उस समय सरकार जवाब दे देगी, उसमें कौन डर रहा है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कल दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 यहां गृह मंत्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? यह प्रश्न काल है, हमारे प्रश्न लगे हुए हैं, आज प्रश्न क्यों नहीं पुछवाते? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पुर:स्थापन की स्टेज पर ही बिना नियम प्रक्रियाओं के कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के भाषण दे डाले। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाह रहे हैं जिस तरीके से हिन्दुस्तान के लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने का काम किया और लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया है, उस मीडिया पर आघात पहुंचाने का काम किया। हमारी मांग है, अध्यक्ष महोदय, कि इस बिल को आप वापस लो, पुनर्विचार की कहीं जरूरत नहीं। यह निवेदन करना चाहते हैं...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कल सायं माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद में कुछ निर्णय लिया गया। क्योंकि नीतिगत निर्णय था और सदन चल रहा था इसलिए नीतिगत निर्णय के बारे में आपकी अनुमति हो तो गृह मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय अपना वक्तव्य देना चाहते हैं ताकि पूरे राजस्थान में सारी बात समाप्त हो जाए कि यह जो विधेयक लेकर आये ...(व्यवधान)... मेरी आपसे प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय को अनुमति प्रदान कर दें ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे हम जवाब मांग रहे हैं कि कहां ऑर्डिनेन्स लाने की जरूरत पड़ी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): भागो मत सदन से, भागो मत।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, अपना वक्तव्य दीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)... इस बिल को वापस लो ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं ...(व्यवधान)... आप विराज जाएं, गृह मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। सरकार जवाब दे रही है, जवाब सुनिये। आपको जवाब सुनने में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): काला कानून और इसका बिल बना कर हाउस के अन्दर पेश किया गया, इसका जवाब सरकार दे। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पाइंट ऑफ आर्डर है मेरा। अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठा रखा है। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप विराजिये। आप विराजो, जवाब सुनो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इन सब को बैठा दीजिए, मैं आपको उलाउ करूंगा। इन सब को बैठा दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न काल में यह भी नहीं होता ...(व्यवधान)... प्रश्न काल स्थगित नहीं हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): प्रश्न काल है, इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। आप वरिष्ठतम सदस्य हैं और आप इस प्रकार की बात करते हैं, मैं सोचता हूं कि हास्यास्पद बात हो जाएगी। तिवाड़ी साहब, आप वरिष्ठतम सदस्य हैं, आप कैसे यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, हां।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इस समय व्यवस्था का प्रश्न होता ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस समय प्रश्न काल में स्थगित हुए बिना मंत्री का वक्तव्य भी नहीं होता है। क्या सिखा रहे हो आप मुझे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप यदि इस प्रकार की बात करेंगे तो गजब हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: मैंने प्रद्‌युम्न सिंह जी को इजाजत दी है। श्री प्रद्‌युम्न सिंह जी को इजाजत दी है, हां, प्रद्‌युम्न सिंह जी। ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्‌युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जब नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की कर्ज माफी की बात की, सम्पूर्ण कर्ज माफ किये जाएं तो संसदीय कार्य मंत्रीजी ने नियमों का हवाला दिया। कहा कि आपका स्थगन प्रस्ताव है, आप उस पर चर्चा कर लीजियेगा, यह प्रश्न काल है। अब आप प्रश्न काल के अन्दर माननीय गृह मंत्रीजी का वक्तव्य कैसे दिलवा रहे हैं? सवाल यह है कि प्रक्रिया का अगर आप पालन करें, नेता प्रतिपक्ष के बारे में तो आपने कहा कि अभी प्रश्न काल है, स्थगन प्रस्ताव आएगा, अभी आपके मंत्रिमण्डल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप गृह मंत्री जी का वक्तव्य इस स्टेज पर कैसे दिलवा सकते हैं?

एक माननीय सदस्य: नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह जब

(श्री कालू लाल गुर्जर)
बोलते हैं तब तो प्रश्न काल याद नहीं आता और सरकार जवाब दे रही है तो प्रश्न काल की बात कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपका एतराज तो ठीक है लेकिन क्या प्रश्न काल की गरिमा ...

नियम का निलम्बन

प्रश्नकाल का निलम्बन

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल की गरिमा दोनों तरफ से डिस्टर्ब की जाती है। प्रश्न काल होता है तो हमने इनको अलाउ किया है, जब इनको अलाउ किया है तो प्रश्न काल में मैं गृह मंत्रीजी को भी अलाउ करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दे दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अलाउ कर देना। मुझे भी अलाउ कर दें एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपको इसके बाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, एक मिनट मुझे भी अलाउ कर दें।

श्री अध्यक्ष: इनके बाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बाद नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न पहले आएगा।

श्री अध्यक्ष: इनके बाद। आप बैठिये, इनके बाद। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह गलत है, मैं खड़ा रहूंगा यहां पर, आप दिलाओ वक्तव्य। +++ आप इस प्रकार से किसी सदस्य के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। मैंने परिनियत संकल्प दिया हुआ है, स्टेट्यूटरी मोशन है मेरा इस पर। मेरा संवैधानिक रूप से परिनियत संकल्प है, उस पर बोलने का मेरा अधिकार है, उसके पहले मंत्री नहीं बोल सकते।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक ब्राह्मण ने संकल्प किया है, ले डूबेगा आपको। ब्राह्मण का संकल्प आपको ले डूबेगा सरकार को। इनका संकल्प पूरा करो।

स्पष्टीकरण

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2017 पेश किये जाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति ली गयी थी

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर सारे सदन ने जिस ढंग से अपने मन की प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके बारे में कुछ आपने जो विषय उठाये हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं।

सबसे बड़ा तो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया था कि आप जब यह संशोधन विधेयक लाये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली कि नहीं ली? बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के आपने यह पेश कर दिया, जो नियमों के विरुद्ध है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जब हमने ऑर्डिनेन्स पेश किया उस ऑर्डिनेन्स के पेश करने के पहले ही हमने राष्ट्रपति जी से अनुमति ले ली थी और अनुमति लेने के बाद ही 4 तारीख को अनुमोदन ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह जीवती मक्खी क्यों निगल रहे हो, अध्यक्ष महोदय, सारे आसन की मर्यादा क्यों तार-तार कर रहे हो?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सदन से माफी मांग रहे हो? आप इस बात की सदन से माफी मांग रहे हो?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): किस बात की माफी?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ऑर्डिनेन्स लाने की कहां जरूरत पड़ी? कहां जरूरत पड़ी ऑर्डिनेन्स लाने की और कहां कानून लाने की जरूरत पड़ी? हम तो यह निवेदन करना चाहते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप प्रतिपक्ष के नेता हो, मैं आपका सम्मान करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो निवेदन करना चाह रहे हैं, कटारिया साहब, आप बहुत सीनियर हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को आप वापस लोगे या नहीं लोगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब यह अपनी खीझ मिटा रहे हैं। क्यों मिटा रहे हैं, मैं बताता हूं। यह ऑर्डिनेन्स हम लाये। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह आपकी है खीझ। आप क्यों राजस्थान की जनता पर यह काला कानून लेकर आये?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप जितनी जोर से बोलते हो उससे फेफड़ों में दम मेरे ज्यादा है, ज्यादा आप इस बारे में चिंता मत करना। अगर इसी बात की एक्सरसाइज करनी हो तो यह भी कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... ऐसे बोलने से नहीं होता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने घुटने टेकते टेकते घुटनों का जोर तो कम हो गया, अब यह भी हो जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो वैधानिक प्रश्न खड़ा किया उस वैधानिक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या वैधानिक प्रश्न है? ...(व्यवधान)... मेरा वैधानिक प्रश्न है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सत्ता पक्ष से धमकाने का काम ..(व्यवधान)... धमकाने का काम कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य को धमकाने का काम हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप यह अन्याय कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऑर्डिनेन्स लाने के पहले राष्ट्रपति के यहां से चार सितम्बर के दिन हमने यह स्वीकृति प्राप्त कर ली, उसके बाद ही हम छह तारीख को ऑर्डिनेन्स लाये हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूं:- “In pursuance of the proviso of clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the President of India, approved the promulgation of the Criminal Law (RAJASTHAN AMENDEMENT) Ordinance, 2017 by the Governor of Rajasthan.

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह पढ़ने की जरूरत कहां है? कहां जरूरत है पढ़ने की? माननीय गृह मंत्रीजी, यह पढ़ने की कहां जरूरत है? ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पढ़ने की कहां जरूरत है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व स्वीकृति ली उसके बाद ही 4 तारीख को स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गवर्नर का भी ठप्पा लगवा लो ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 6 तारीख को हमने ऑर्डिनेंस जारी किया और 7 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुआ। हम किसी कानून को तोड़कर के यह ऑर्डिनेंस नहीं लाए, नम्बर एक। दूसरा, आप जितने लोग चिल्ला रहे हैं, भले आदमी, कम से कम राजस्थान की जनता ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चिल्ला नहीं रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप भी मत करो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऑर्डिनेंस आया तब सो रहे थे क्या? दो-दो महीने तक क्या कर रहे थे ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप क्या करते हो ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, यह धमकाने का काम कर रहे हैं ...(व्यवधान)... यह धमका रहे हैं ...(व्यवधान)...

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, माननीय सदस्य का सदन कूप में प्रवेश)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): डेढ़ महीने तक सो रहे थे ...(व्यवधान)... यह धमका नहीं ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह धमका रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): डेढ़ महीने तक, यह ऑर्डिनेंस जारी कब हुआ? यह 7 तारीख सितम्बर को जारी हुआ ...(व्यवधान)... आपमें से किसी एक व्यक्ति ने भी इसका विरोध कहीं दर्ज नहीं कराया। डेढ़ महीने तक आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं और आज आप बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

एक माननीय सदस्य: इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): डेढ़ महीने तक वह ऑर्डिनेंस पढ़ा तक नहीं। ऑर्डिनेंस को पढ़ने का काम नहीं, फुर्सत नहीं। आपने केवल चिल्लाने का काम कर रखा है। जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को पूरा किया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह माननीय सदस्य का अपमान है ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रोसीजर और कानून के तहत लेकर के आए हैं ...(व्यवधान)... डेढ़ महीने तक ऑर्डिनेंस जारी रहा। डेढ़ महीने में इनमें से एक ने नहीं पढ़ा। आज जाकर चर्चा कर रहे हैं। इसको डेढ़ महीने पहले पढ़ लेते और इसके बारे में कुछ अपने सवाल खड़े करते तो आपके ज्ञान का लाभ उठाकर जब हम यहां बिल लेकर आए तो जरूर विचार करते।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

लेकिन डेढ़ महीने में ना आप बोले और ना प्रतिपक्ष बोला। ऑर्डिनेंस पढ़ा तक नहीं है कि यह ऑर्डिनेंस है क्या ...(व्यवधान)... आज आप चिल्ला रहे हैं। डेढ़ महीना आपको मिला था ऑर्डिनेंस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। डेढ़ महीने में आप अपने विचार तो व्यक्त करते ...(व्यवधान)... यह हत्या नहीं है ...(व्यवधान)... डेढ़ महीने तक पढ़ा तक नहीं और वापस लो, वापस लो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): डेढ़ महीने तक आप सो रहे थे क्या?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): काला कानून, डेढ़ महीने बाद समझ में आया ना, पढ़ा ही नहीं। डेढ़ महीने तक पढ़ा ही नहीं ...(व्यवधान)... डेढ़ महीने तक जिनको ऑर्डिनेंस पढ़ने तक की भी फुर्सत नहीं थी। आज यहां अपने आपको बादशाह बता रहे हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय गृह मंत्री जी, अगर इनके टाइम से समझ में आ जाता, समय से हर चीज समझ में आ जाती तो इनकी ऐसी गति होती क्या जैसी गति अभी हुई पड़ी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मुद्दे को ध्यान में लाया ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी तक यह और दुर्गति चाहते हैं राजस्थान में। जनता तैयार है इनकी और अधिक दुर्गति करने के लिए ...(व्यवधान)... इनको देर से समझ आता है ...(व्यवधान)... इनको समझ लेना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): झेंप मिटाना बंद करो। झेंप मिटाना बंद करो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बहुत देर से इनको समझ में आता है ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऑर्डिनेंस पढ़ा तक नहीं और अब चिल्ला रहे हो। ऑर्डिनेंस में है क्या?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह सब स्कोर करना चाहते हैं, खुद को अखबारों में छपाने के लिए ...(व्यवधान)... अखबारों में छपने के लिए स्कोर करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो सामान्य ...(व्यवधान)... का विरोध आया है। एडवोकेट का भी विरोध आया है। सामान्य जनता का भी है ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पढ़ाई करके आते नहीं हैं ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हम सब लोगों का भी है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): केवल विपक्ष का धर्म निभाने की हैसियत से ही यह वैल में आकर के खड़े हैं। गलत बात है यह बिलकुल।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल ही मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्पेशल बैठक बुलाई और 2 नियमों पर आपका जो विरोध था, जनता ने जिस प्रकार से कहा कि यह जो 180 दिन हैं, यह अधिक हैं, 90 दिन महाराष्ट्र के एक्ट में हैं ...(व्यवधान)... महाराष्ट्र का एक्ट आज भी सर्वाइव कर रहा है। उस 180 दिन पर विचार करने के लिए, दूसरा यह कानून तो बना नहीं है। यह हाउस में रखा है। हाउस इस पर डिसकस करेगा। अपने सुझाव देगा। उस सुझाव के आधार पर जो हमें उचित लगेगा वह हम करेंगे। यह लाते ही इसीलिए हैं कि यहां सब लोग अपनी राय दें और उसमें कोई कमी, खामी रह गयी है तो उसको सरकार सुधार करे। इसी के लिए तो लेकर के आए हैं ...(व्यवधान)...

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इसलिए हमने सारे राजस्थान प्रदेश की जनता की भावनाओं का ध्यान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रखकर के, मैं स्वयं ही इस पक्ष का आदमी हूं, मैं हमेशा इस बात को मानने को तैयार हूं कि कानून जब बनाएं तो सब लोगों की सहमति से और राय के द्वारा बनें। अगर वास्तव में आपको लगता है कि कानून में कोई कमी, खामी है तो डिस्कशन के लिए आया, लेकिन फिर भी यह अगर चिल्लाना चाहते हैं तो मैं इसको सलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए अपना प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं ताकि यह सलेक्ट कमेटी में चला जाए। वहां पर विचार करें और विचार करने के बाद पास करें।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी। कर लेंगे, डिसकस हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(स्वीकृत)

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले तो थूका क्यों और थूक कर चाटा क्यों? पहले तो थूका क्यों और थूक कर चाटा क्यों?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल का टाइम है, आगे के प्रश्न लीजिए।

श्री अध्यक्ष: अब तो प्रश्न काल चालू किया जाए? आपकी परमिशन है दोनों तरफ से। प्रश्न काल चालू किया जाए?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष: आप भी बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। यह सरकार कमेटियां बना रही है। अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में किसान की कर्ज माफी के लिए कहीं कोई कमेटी नहीं बनती। राजस्थान में ऐसी क्या आफत आ गयी, किसान ने क्या अन्याय कर दिया कि उसकी कर्ज माफी के लिए कमेटी बनाई है ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल होने दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 100 के लगभग किसानों ने आत्महत्या कर ली ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय डोटासरा जी, यह प्रश्न काल है और आपका स्थगन है ...(व्यवधान)... जब स्थगन पर चर्चा हो तो ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, जब व्यवस्था देंगे उसके बाद बोलना। अभी तक यह प्रश्न काल का समय है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान विरोधी सरकार है ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल शुरू कराइए ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): पूरे राजस्थान के माननीय सदस्यों को प्रश्न ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): प्रश्न काल शुरू कराइए ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप प्रश्न काल चलने दो ...(व्यवधान)... प्रश्न चलने दो, आपका ही प्रश्न है उसमें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप किसान के वोट से जीतकर आए हैं ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप चिल्लाकर समय जाया नहीं करें ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि प्रश्न काल प्रारंभ किया जाए ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्याएं कर रहा है ...(व्यवधान)... जबकि मुख्यमंत्री और मंत्री वोटों को पटाने के लिए इलेक्शन मोड में आ गए हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): प्रश्न काल प्रारंभ किया जाए ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, किस पर बात कर रहे हैं। आप कौनसे विषय पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)... 50 का आपका प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय जब पुकारेंगे तो बोल लेना ...(व्यवधान)... प्रस्ताव इन्होंने लगा रखा है। कौन से नियमों में बोल रहे हैं यह ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न काल है और आपका स्थगन है तो स्थगन पर नहीं बोलना चाहते हैं क्या आप? आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)... आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं। जब आपका स्थगन आए तब उस पर बोलना ...(व्यवधान)... अभी क्यों बोल रहे हैं आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों की कर्ज माफी ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): स्थगन पर बोलना, अभी क्यों बोल रहे हो ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, आप तो क्वेश्चन आवर चलाएं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): किसानों का कर्जा माफ करो ...(व्यवधान)... माफ करो भाई माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी आपको करनी पड़ेगी ...(व्यवधान)... जब तक कर्ज माफी नहीं करेंगे विपक्ष आपको काम नहीं करने देगा ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप जीरो ऑवर में कर लेना, अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है तो। कौन मना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
कर रहा है? जीरो ऑवर में कर लेना, प्रश्न काल तो चलने दो ...(व्यवधान)... प्रश्न काल चलने दें। जीरो ऑवर में स्थगन लगा हुआ है, जवाब दे देंगे हम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं किसानों के मसीहा हैं। आप स्वयं किसानों की तकलीफों को जानते हैं। संपूर्ण कर्ज माफी आज सरकार को करनी पड़ेगी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका स्थगन प्रस्ताव है। आपका स्थगन प्रस्ताव है ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, प्रश्न काल चालू करो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका स्थगन प्रस्ताव है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों के वोट से आपने 163 की संख्या ...(व्यवधान)... आज जब किसान पीड़ित है ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके नेता, प्रतिपक्ष पहले उठा चुके हैं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों का कर्ज माफ करो ...(व्यवधान)... या केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ही आप काम कर रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बहुत हो गया अब। बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान का मुद्दा छोटा नहीं है। किसान की कर्ज माफी होनी चाहिए, किसान की कर्ज माफी जब तक नहीं होती है तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज गुजरात के अंदर किसान का कर्जा माफ हो सकता है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो प्रश्न काल चलाएं। ...(व्यवधान)... यह तो जो स्थगन प्रस्ताव आया था उस पर बोलना चाहिए, यह तो बीच में बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है राजस्थान के किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल।

श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... नहीं, अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है। ...(व्यवधान)... किसान की कर्ज माफी से बड़ा आज कोई प्रश्न नहीं है। आज पूरे स्टेट में किसान की सम्पूर्ण कर्ज माफी से नीचा कुछ भी नहीं चाहिए। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ बास की क्षतिग्रस्त सड़कें

1. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में खनन कार्य में लगे डम्परों के आवागमन के कारण कौन-कौनसी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य खनन विभाग से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अंतर्गत खनन क्षेत्र के यातायात के कारण 5 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय, जब प्रश्न काल को स्थगित करके बिल वापस लिया जा सकता है तो किसानों की कर्ज माफी की बात क्यों नहीं की जा सकती? यह पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बाद में बोल देना यह। ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान ...(व्यवधान)... प्रश्न के उत्तर के पैरा नम्बर एक में जो विवरण दिया गया है उसमें कुछ सड़कें और हैं, जो खनन क्षेत्र में आती है खैरथल, भगेरी, बांछरोली, दौलतपुर, बीबीरानी, डोडिया, एक तो ये सड़कें हैं। दूसरी, सिहांवली, बाबा कुंदनदास के आश्रम से मथुरादास के आश्रम तक, गुरगचा मोड़, भगेरी, गोठड़ा, गहनकर, भिंडूसी। तीसरी सड़क, बीरनवास, बटलवास, जमालपुर, कतोकपुर, भोंकर और गेलपुर, ये तीन सड़कें और महत्वपूर्ण हैं, जो इस खनन क्षेत्र में आती हैं। ...(व्यवधान)... और इसके अलावा अवैध रूप से खनन के ट्रक आते हैं, जो खैरथल और किशनगढ़ बास शहर के बीच में आते हैं इसलिए वहां पर बाइपास की भी आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इसके निर्माण का भी आग्रह करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चार साल तक तो सोते रहे और अब जब चुनाव आएं हैं तो इनको किसानों की याद आई। पांच साल तक, पांच वर्षों तक ये सत्ता में रहे, तब उस गरीब किसान की याद नहीं आई और चार वर्षों तक, ये सोते रहे और यह चुनाव आया तो इनको किसानों की याद आई, इनको पूछो 55 साल तक इस राजस्थान पर राज किया, किसानों के लिए क्या किया? किसानों के नाम से इन्होंने अपनी राजनीति की है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही किसान याद आता है और उसके बाद में जब यह सत्ता में आते हैं तो सो जाते हैं। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमने कमेटी बना दी, वह काम करेगी, अब किसानों के हित में राज्य सरकार काम कर रही है उसको लेकर इनको तकलीफ है। इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं रहा। ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जिन सड़कों के नाम बता रहे हैं, ...(व्यवधान)... राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाली उन सड़कों के लिए प्रावधान करके सड़कों का डामरीकरण करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): किसानों की ही बात करते तो आपकी यह हालत नहीं होती। जो कांग्रेस की पिछले चुनावों में हालत हुई है वह नहीं होती। ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक 15.06.2017 को हुई थी जिसमें मुख्य शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम ने अवगत कराया था कि डीएमएफटी फंड में कुल 835.63 करोड़ रुपये है और इनको 17 मई तक जिले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन सड़कों के लिए राज्य स्तर पर जो बजट था, इसका अलवर जिले को कितना मिला और मैंने जो उक्त सड़कें बताई हैं उनका माननीय सीएस की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी राज्य स्तरीय उसका भी हवाला है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी अपने पत्र संख्या दिनांक 06.07.2017 को एक सूची दी, जिसमें भी अलवर की लगभग 43 करोड़ की सड़कों की अनुशंसा की गयी है। ...(व्यवधान)... मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने हमारे अलवर जिले को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, 968 करोड़ रुपये राजस्थान के इतिहास में किसी एक जिले को सड़कों के लिए दिया गया हो। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, आपका, हदय से आभारी हूं लेकिन आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पास डीएमएफटी में जो फंड है वह हमारे जिले को मिलना चाहिए, इन सड़कों को आप एमडीआर करें, सात मीटर सीसी रोड बनाएं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन सड़कों का जिक्र किया है, यह बात सही है, ...(व्यवधान)... यह बात सही है कि जो आज वैल में खडे होकर नारेबाजी कर रहे हैं, उनको 2009, 2010, 2011, 2012 में शासन करने का मौका मिला और उन्होंने उस समय राजस्थान में जो माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजेन्द्रजी राठौड़ पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उस

(श्री युनुस खान)

समय जो सड़कें बनीं उन सड़कों की मरम्मत करने की जरूरत थी, इन्होंने वह मरम्मत नहीं की आज राजस्थान में जब वापस वसुन्धराजी के नेतृत्व में सरकार आई उस समय 20 हजार किलोमीटर सड़कें इन्होंने टूटी हुई विरासत में दी, उनको ठीक करने के लिए हमने 2014 में 4254 किलोमीटर और 847 करोड़ रुपये पहले वर्ष में खर्च करके सड़कों को ठीक करने का काम किया। फिर दूसरे वर्ष में 800 करोड़ रुपये से 2701 किलोमीटर सड़कों को ठीक करने का काम किया। तीसरे वर्ष, में फिर हमने 800 करोड़ रुपये की लागत से 5036 किलोमीटर सड़कों को ठीक करने का काम किया। इस वर्ष, मैं आज हाउस में यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की टूटी हुई सड़कों को इस वित्त वर्ष में, मार्च पहले हम 12 हजार किलोमीटर सड़कों को ठीक करने का काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह पहला काम है। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उनके विधान सभा क्षेत्र में अब तक 250 करोड़ रुपये से सड़कों के निर्माण का कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में इस वर्ष अभी हमने टैंडर लगा रखा है, उसमें लगभग 1200 करोड़ रुपये हम टूटी हुई सड़कों पर खर्च करेंगे। मैं सोचता हूं कि अकेले जिले में इतना काम 968 करोड़ रुपये हम एनसीआरपीबी के तहत लगभग 650 किलोमीटर सड़कें ठीक करने का काम करेंगे इसलिए मैं आज हाउस में यह घोषणा करना चाहता हूं कि अलवर के लिए अगले मार्च तक जो आपको जो सड़कें दी है वह भी और बाकी विधान सभा क्षेत्रों के लिए भी हम 1200 करोड़ रुपये खर्च करके सड़कों को ठीक करने का काम करेंगे। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह जो किसानों के हितैषी बने हुए हैं माननीय सदस्य, मैं बार-बार कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम से राजनीति करते हैं, ...(व्यवधान)... जब ये सत्ता में थे, आज यह अगर इतने हितैषी थे तो यूपीए की सरकार, यूपीए की सरकार दस साल तक सत्ता में रही, इन्होंने एक भी गरीब किसान का कर्जा माफ नहीं किया। उसके बाद में गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार ने एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी, आप राजस्थान के किसानों को गुमराह करने का जो काम कर रहे हो, आप यह कह रहे हो कि किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के किसान की हितैषी है। आज राजस्थान का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, ...(व्यवधान)...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज आप किसान के नाम पर राजस्थान विधान सभा के इस हाउस का दुरुपयोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह सड़क टूटे नहीं, ओवरलोड ट्रक आते हैं, 8 क्विंटल की कैपेसिटी की सड़क पर 80 टन के ट्रक वहां से निकलते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क टूटे नहीं, क्षतिग्रस्त नहीं हो, इसके लिए एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, फोरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, माइंस और पुलिस, सबकी संयुक्त चौकी बनाएं, जहां पर धर्मकांटा भी हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरे हो और उनके माध्यम से ओवरलोड जाने वाले ट्रक, अवैध खनन करने वाले ट्रक जो फर्जी रवन्ने लेकर जाते हैं, उनको चैक करके सड़कों को बचाया जाए। जो मैंने पहले कहा था, जिन सड़कों की मैंने मांग की है उनको एमडीआर करके उनको ठीक करने का क्या प्रयास करेंगे यह माननीय मंत्रीजी बताएं। ...(व्यवधान)...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य ने, अलवर जिले में माइनिंग के कारण जो सड़कें टूटती हैं, उनको ठीक करने की जो बात कही उसके लिए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो तीन सड़कें आपने बताई, ...(व्यवधान)... चूंकि यहां व्यवधान ज्यादा हो रहा है इसलिए एक्जेक्ट नाम तो नहीं लेकिन उन तीनों सड़कों को राज्य सरकार इस वर्ष ठीक करेगी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दूसरा, आपने मांग की है उसके जवाब में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष अलवर जिले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस तरीके के जो ओवरलोडेड व्हीकल्स

(श्री युनुस खान)

चलते हैं उन व्हीकल्स के खिलाफ भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है।

हमने 2014-15 में 23277, 2015-16 में 8835, 2016-17 में 9258 और 2017-18 में 3170, जहां तक माइनिंग की बात है उसमें जो स्टोन्स के हैं उनके 2016-17 में 1523, 2017-18 के अंदर 838, दोनों वर्षों में कुल मिलाकर 3700 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि हम संयुक्त टीम बनाकर, जो इस तरीके से ओवरलोडेड व्हीकल चलते हैं उन व्हीकल्स के खिलाफ परिवहन विभाग, लोकल प्रशासन सख्त कार्यवाही करेंगे। चूंकि कांग्रेस के शासन में अलवर जिला हमेशा सुविधाओं से वंचित रहा है, विकास से वंचित रहा है, इसलिए वसुन्धराजी के इस शासन में अलवर जिले के लिए हम विशेष पैकेज देकर सड़कों को ठीक करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अलवर की चिन्ता ये न करें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय मंत्री महोदय का मैं हृदय से आभारी हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी आभारी हूं कि आपने हमारी तकलीफ को सुनकर उसके समाधान का आश्वासन दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान के किसान की चिन्ता इनको करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के किसान के लिए दिल्ली में मोदीजी और यहां वसुन्धरा जी काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए असत्य तरीके से, बार-बार किसानों को लेकर, इनके पास चार वर्षों में कोई मुद्दा नहीं है, आपने भी देखा होगा, न तो इस हाउस में और न इस हाउस के बाहर कोई इस तरीके का मुद्दा बना पाये। अब इनके नेताओं ने इशारा किया है और किसानों का रोजना रो रहे हैं। राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है। वह आत्महत्या नहीं कर सकता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ये राजस्थान के किन किसानों के बारे में बोल रहे हैं मंत्रीजी? सड़कों की बात चल रही है और राजस्थान के किसान के बारे में बोल रहे हैं। यह सरकार किसानों की हत्यारी सरकार है। किसानों की हत्यारी सरकार है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये कांग्रेस के लोग उस किसान का अपमान कर रहे हैं। राजस्थानी आदमी सेना में जाकर शहीद हो सकता है, लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिए कांग्रेस को किसानों से माफी मांगनी चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किशनगढ़बास के अंदर 2014 से 2017 तक जो मिसिंग सड़कें हैं या पीएमजीएसवाई की सड़कें बनी हैं वे गारंटी पीरियड के अंदर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, क्या मंत्री महोदय उन क्षतिग्रस्त सड़कों को जो गारंटी पीरियड में थीं उनको ठीक करने का काम करेंगे और क्या जिनके रहते हुए वे सड़कें बनी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी, जो डीएलपी पीरियड में हैं उनके लिए तो ठेकेदारों को ताकीद करेंगे कि जो सड़कें वर्षा के कारण या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो गयी उनको ठीक करें। चाहे चौमूं हो, चाहे किशनगढ़ बास हो, माननीय वसुन्धरा जी की सरकार, पूरे राजस्थान में जो टूटी हुई सड़कें हैं, इस वर्ष हम लगभग 12 हजार किलोमीटर मार्च से पहले करेंगे और 10 हजार किलोमीटर बाद में करेंगे। जो टूटी हुई सड़कें हैं उन सब सड़कों के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम ठीक करेंगे, धन्यवाद।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेस शासन ने अलवर जिले को पीडब्ल्यूडी की सड़कों के मामले में विकास से वंचित रखा है, अलवर शहर की सारी सड़कें गांव की सड़कों जैसी तब्दील हो गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी सड़कें आज ऐसी खराब अवस्था में हैं, जिनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग शहर की सारी सड़कों को कब तक ठीक करने का विचार रखता है?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अलवर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने शहर की सड़कों को ठीक करने की बात कही। इनकी मांग पर माननीय मुख्यमंत्रीजी ने 33 करोड़ रुपये शहर में सड़कों को ठीक करने के लिए दिये। उसकी जो लगभग 10 करोड़ रुपये की बचत है उसमें जो बाकी आपके शहर की टूटी हुई सड़कें हैं उन 10 करोड़ से हम ठीक कराएंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, मुख्य सड़कें और दो-चार ऐसी रह गयी हैं जो शहर को लिंक करती हैं। सारा जिला, चाहे किशनगढ़ हो, तिजारा हो, चाहे रामगढ़ हो वहां से होकर निकलना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप उन सड़कों की भी घोषणा करें जो अलवर मुख्यालय से होकर सारे जिले को जाती हैं। उन सड़कों को भी बनाने की अलग से घोषणा और करें माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अलग से चैम्बर में देना, उनका भी कर दूंगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पीपलू उपखण्ड में सारी सड़कें जर्जर हो गयी हैं। (व्यवधान) यहां तक कि कोई बीमार आदमी जा रहा है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पीपलू उपखण्ड, निवाई विधान सभा क्षेत्र में झिराना, झोटवाड़ी, नानेर की सड़कें बिलकुल जर्जर हो गयी हैं, सड़कें ही नहीं दिखती हैं। क्या मंत्री महोदय, मेरे पीपलू उपखण्ड की सड़कों को ठीक कराने का इरादा रखते हैं? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पीपलू उपखण्ड में सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, कहीं नहीं दिख रही हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कांग्रेस के माननीय विधायकों को कहूंगा क्या ये किसानों के समर्थन में आत्महत्या कर रहे हैं? दो-चार एमएलए आत्महत्या कर रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

क्या आप माइन्स की सड़कें रामगढ़ में भी ठीक कराएंगे? रामगढ़ में भी माइन्स की सड़कें चार हैं। साथ में मंदिर व मस्जिद की सड़कें आप ठीक कराएं, यह आपको मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं और 1 बजे केवल शासकीय बिजनेस लिया जाएगा, बाकी सब बिजनस निरस्त करता हूं। जयहिन्द।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.36 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.00 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अधिसूचनाएं। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री राजेन्द्र राठौड़, बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 100 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर लीं, कर्ज माफी का लालीपाप सरकार देने की बातें कर रही है।

श्री अध्यक्ष: केवल राजेन्द्र राठौड़ और मैं अनुमति दूं उनका ही अंकित करें। अन्य अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(54)पट्टा-अभि/विधि/परा/2017/271 दिनांक 6.4.2017 जिसके द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में सरकारी कार्यालय हेतु भूमि के नि:शुल्क आवंटन हेतु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को सशर्त अधिकृत किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2017/289 दिनांक 12.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2017/447 दिनांक 17.5.2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एसईसीरूल//लीगल/पीआर/2017/474 दिनांक 25.5.2017 जिसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है; एवं

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2017/1055 दिनांक 29.8.2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

उद्योग विभाग

श्री अध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री) के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आरएफसी/एफपीए-23(16) दिनांक 21.7.2017 जिसके द्वारा दी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1951 की धारा-23 सपठित धारा-48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम एम्पलोइज पेंशन रेग्युलेशन, 1990 को दिनांक 21 जून, 2004 से विदड्रा किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

परिवहन विभाग

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खान।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) (श्री युनुस खान (परिवहन मंत्री) के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)/परि/कर/मु./08/41009 दिनांक 21.08.2017 जिसके द्वारा दिनांक 23.08.2017 से 6.9.2017 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों पर देय 5500/- रुपये से अधिक के करों का परिहार किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)/परि/कर/मु./उर्स/32152 दिनांक 23.03.2017 जिसके द्वारा दिनांक 23.03.2017 से 9.4.2017 तक अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों पर देय 5500/- रुपये से अधिक के करों का परिहार किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)/परि/कर/मु./95/37521 दिनांक 12.06.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)/परि/कर/मु./95/22-सी दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

पर्यावरण विभाग

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, पर्यावरण विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.27(31)पर्या/78/पार्ट-II दिनांक 4.5.2017 जिसके द्वारा श्री अशोक लाहोटी, महापौर, नगर निगम, जयपुर को पूर्व महापौर श्री निर्मल नाहटा के स्थान पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)पर्या/2016 दिनांक 21.8.2017 जिसके द्वारा फ्लाई ऐश ईंट बनाने वाले निर्माताओं को आने वाली बाधाओं के संबंध में कतिपय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

लोकायुक्त राजस्थान का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

(1) राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015),

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2007-08 से 2015-16)

(2) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-35(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 से 2015-2016 तथा

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2014 से 2016)

मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016, एवं

राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, निम्नांकित प्रतिवेदन/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) (वर्ष 2015-16)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय); एवं

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

(2) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3) (का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखता हूं।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17)

श्री अध्यक्ष: श्री अरुण चतुर्वेदी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री) के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16; एवं

जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2016-17)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2016-17.

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 35)

श्री अध्यक्ष: श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को मध्यान्ह 12.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से 26 अक्टूबर, 2017 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

मंगलवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017	1. राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017, एवं 2. राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 - पर विचार एवं पारण
बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017	1. राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017, एवं 2. राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता का निवारण) विधेयक, 2017 - पर विचार एवं पारण
गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (प्रथम संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्सम्बन्धी राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 2. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 - पर विचार एवं पारण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह। श्री रामहेत सिंह यादव भी नहीं हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन लेखा समिति, 2017-18 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.1 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 185वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी। आप रखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप हाउस ऑर्डर में लें।

श्री अध्यक्ष: इनको बोलने दीजिये। आप रखिये, आपकी बात जाएगी रिकार्ड पर, इनकी एक बात नहीं जाएगी।

याचिका समिति (क्रम संख्या 9 व 10)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग से सम्बन्धित नवें एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

जन लेखा समिति (क्रम संख्या 185 से 228)

श्री अर्जुन लाल (बिलाडा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2017-2018 के निम्नांकित 44 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-2015 का अनुच्छेद संख्या 3.1 आपदा प्रबन्धन एवं

(श्री अर्जुन लाल)

सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 185वां प्रतिवेदन।

2. जन लेखा समिति, 2016-2017 के 112वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 186वां प्रतिवेदन।

3. जन लेखा समिति, 2015-16 के 83वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 187वां प्रतिवेदन।

4. जनलेखा समिति, 2013-14 के 252वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 188वां प्रतिवेदन।

5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.24 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 189वां प्रतिवेदन।

6. जन लेखा समिति, 2015-16 के 87वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 190वां प्रतिवेदन।

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.22 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 191वां प्रतिवेदन।

8. जन लेखा समिति, 2016-17 के 117वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई

(श्री अर्जुन लाल)

कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 192वां प्रतिवेदन।

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.1.1, 3.1.2 एवं 3.2.4 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 193वां प्रतिवेदन।

10. जन लेखा समिति, 2015-16 के 69वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 194वां प्रतिवेदन।

11. जनलेखा समिति, 2015-16 के 86वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 195वां प्रतिवेदन।

12. जनलेखा समिति, 2016-17 के 147वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 196वां प्रतिवेदन।

13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.4.1 एवं 3.4.7 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18का 197वां प्रतिवेदन।

14. जन लेखा समिति, 2016-17 के 146वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 198वां प्रतिवेदन।

15. जन लेखा समिति, 2015-16 के 63वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई

(श्री अर्जुन लाल)

कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 199वां प्रतिवेदन।

16. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.13 चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 200वां प्रतिवेदन।

17. जन लेखा समिति, 2015-16 के 96वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 201वां प्रतिवेदन।

18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.2 एवं 3.5 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 202वां प्रतिवेदन।

19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.17 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 203वां प्रतिवेदन।

20. विनियोग लेखे वर्ष 2014-15 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 204वां प्रतिवेदन।

21. जन लेखा समिति, 2015-16 के 94वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 205वां प्रतिवेदन।

22. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 1.2.1, 1.2.3, 1.4.6, 1.7.3.2, 1.8.4 वित्त विभाग, अनुच्छेद संख्या 2.5 वित्त एवं अल्पसंख्यक मामलात तथा

(श्री अर्जुन लाल)

अनुच्छेद संख्या 3.6 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 206वां प्रतिवेदन।

23. जन लेखा समिति, 2015-16 के 89वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 207वां प्रतिवेदन।

24. जन लेखा समिति, 2016-17 के 111वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 208वां प्रतिवेदन।

25. जन लेखा समिति, 2016-17 के 114वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 209वां प्रतिवेदन।

26. जन लेखा समिति, 2016-17 के 173वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 210वां प्रतिवेदन।

27. जन लेखा समिति, 2016-17 के 158वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 211वां प्रतिवेदन।

28. जन लेखा समिति, 2016-17 के 140वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 212वां प्रतिवेदन।

29. जन लेखा समिति, 2015-16 के 95वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई

(श्री अर्जुन लाल)

कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 213वां प्रतिवेदन।

30. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.20 युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 214वां प्रतिवेदन।
31. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.14 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 215वां प्रतिवेदन।
32. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 2.1 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 216वां प्रतिवेदन।
33. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 2.1 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 217वां प्रतिवेदन।
34. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.5, वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.5 तथा 3.9 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 218वां प्रतिवेदन।
35. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.21 युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 219वां प्रतिवेदन।
36. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.1 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 220वां प्रतिवेदन।

(श्री अर्जुन लाल)

37. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 1.4.5 वित्त, गृह, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, विधि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 221वां प्रतिवेदन।
38. जन लेखा समिति, 2016-17 के 157वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 222वां प्रतिवेदन।
39. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2010-11 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 2.1 से 2.14.6 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 223वां प्रतिवेदन।
40. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 224वां प्रतिवेदन।
41. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 225वां प्रतिवेदन।
42. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.10 आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 226वां प्रतिवेदन।
43. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.10.3 वित्त आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 227वां प्रतिवेदन।
44. जन लेखा समिति, 2016-17 के 115वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (आबकारी विभाग से संबंधित) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना

(श्री अर्जुन लाल)

हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 228वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता। (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र पारीक। श्री सुरेन्द्र पारीक।

राजकीय उपक्रम समिति (क्रम संख्या 93 से 104)

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2017-2018 के निम्नांकित 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 20वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 93वां प्रतिवेदन;

2- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 के 111वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 94वां प्रतिवेदन;

3- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 21वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 95वां प्रतिवेदन;

4- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन)

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 66वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 96वां प्रतिवेदन;

5- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 39वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 97वां प्रतिवेदन;

6- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2009-2010 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 28वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 98वां प्रतिवेदन;

7- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 33वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 99वां प्रतिवेदन;

8- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 39वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 100वां प्रतिवेदन;

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

9- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2011-2012 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 101वां प्रतिवेदन;

10- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2012-2013 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 44वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 102वां प्रतिवेदन;

11- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2012-2013 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट वित्त निगम से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 103वां प्रतिवेदन; एवं

12- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 78वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 104वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (क्रम संख्या 5)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2017-2018 के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017, डा. रामप्रताप।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)।

श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बिल राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 पर अपना वक्तव्य देने के लिए अनुमति दी। किसान के हित के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह बिल है। किसान के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिल है। प्रतिपक्ष के मेरे साथी किसानों की बात करते हैं और जब किसानों की बात आती है तो हाउस के फ्लोर पर जब कोई बात हम कह सकते हैं, उस वक्त तो हो-हल्ला करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये किसानों के कितने हितैषी हैं। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाकर, पांच साल तक जब तक सत्ता में रहे, तब और उसके बाद अब चार साल तक एक भी बात किसान की और जब किसानों ने इनको नकार दिया, जब किसानों ने इनको पूर्ण रूप से तिरस्कृत कर दिया, जब किसानों ने इनको घुसने ही नहीं दिया। इन्होंने यात्रा के नाम पर किसानों को बरगलाने की कोशिश की और वहां भी किसानों ने मना कर दिया, तब यहां हाउस में हो-हल्ला कर रहे हैं। इसके अलावा, और कुछ भी नहीं है। अभी तो ये 24 हैं। अगली बार चार भी मुश्किल से आएंगे। प्लस 180 का टारगेट

(श्री जोगाराम पटेल)

राजस्थान की जनता, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो महत्वपूर्ण बिल है, इस बिल में धारा 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में संशोधन के प्रस्ताव किये गये हैं और जो मंशा है, जो ऐम एण्ड आब्जेक्ट बतलाये गये हैं, उससे स्पष्ट है कि सरकार की मंशा महिलाओं को पूरी सहभागिता देने की है और मेन उद्‌देश्य इस एक्ट में यही है कि हमारी जो मातृ शक्ति है, उस मातृ शक्ति को पूरी की पूरी सहभागिता दी जाए। इससे पहले इस एक्ट में सहभागिता नहीं थी और अब सहभागिता देने के लिहाज से यह एक्ट लाया गया है, यह प्रोविजनरी बिल लाया गया है। सन् 2000 से लगाकर आज दिन तक जो हमारे जल उपयोक्ता संगम हुआ करते थे और जो उपभोक्ता क्षेत्र के रूप में धारा-3 में घोषित होते थे, उन क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, महिला अध्यक्ष और सदस्य चुनी जाएं, इस लिहाज से यह बिल लाया गया है और महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दिया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार और माननीय मंत्रीजी को, कि उन्होंने इस संबंध में जो एम एण्ड आब्जेक्ट में बताया है, "राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 में प्रस्तावित संशोधन, भू-स्वामियों और उनके पति या पत्नी को जल उपयोक्ता संगमों में सदस्य बनाये जाने को सुकर बनायेंगे...." और यह जो बिल के मार्फत संशोधन किया जा रहा है, वह वर्तमान समय की आवश्यकता है। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार ही यह संशोधन लाया जा रहा है।

मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मंत्रीजी का, कि राजस्थान में आपके कार्यकाल के दौरान सिंचाई के क्षेत्र में, किसानों को पानी उपलब्ध कराने के क्षेत्र में, खेत में पानी उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ऐसे कार्य आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। इसीलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, उन्हें निरन्तर आप जारी रखें। मैं इस बिल के संबंध में तीन सुझाव आपको देना चाहूंगा। मेरा निवेदन भी रहेगा कि आप इन सुझावों को कंसीडर करें।

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिनियम, 2000 है और इसका जो ऐम है, सिंचाई प्रणाली में कृषकों की सहभागिता के लिए उसमें वर्ड है 'कृषक' और इस एक्ट की डेफिनेशन में जो वर्ड है, धारा-3 डी में, वह है "भू-स्वामी"। कृपया आप कंसीडर करें। भू-स्वामी कौन होगा? वह भू-स्वामी आपने वही बताया है जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 में परिभाषित है और आपने इसमें लिखा है, "भू-स्वामी से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 और तत्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित किये गये, तैयार किये गये और रखे गये अधिकार अभिलेखों में भूमि के अधिकारी, अभिधारी, उप-अभिधारी के रूप में अभिलिखित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।" जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में है, जो भू-स्वामी की डेफिनेशन बतलाई है, उसी को आपने इसमें एडोप्ट किया है और इसी को एडोप्ट करते हुए, मेरा निवेदन मंत्री महोदय आपसे यह है, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में...

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं। आपस में बातचीत नहीं। गजेन्द्रसिंह जी, आपस में बातचीत नहीं। इनको बैठे रहने दो। आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। आप तो इनको सुनो। आप इनको सुनो। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...भू-स्वामी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कृपया आप ध्यान करें। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 में भू-स्वामी की कोई डेफिनेशन नहीं है। (व्यवधान) क्योंकि आपने यह जो कहा है कि इसकी डेफिनेशन में भू-स्वामी वही माना जाएगा जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में बतलाया गया है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में इसकी डेफिनेशन ही नहीं है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में है, पर आपने इसमें एक प्रोविजन और बना दिया और उस प्रोविजन में यह कह दिया कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो डेफिनेशन है, अगर इसमें नहीं है तो वही मानी जाएगी जो राजस्थान टीनेंसी एक्ट में है और अगर राजस्थान टीनेंसी एक्ट में देखा जाये तो भू-स्वामी को डिफाइन किया हुआ है और भू-स्वामी का तात्पर्य जो है, वह टीनेंट से संबंधित नहीं है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इसमें जो भू-स्वामी बतलाया गया है, इसमें यह प्रोविजन है एक्ट में, "Words and expressions" defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955

(श्री जोगाराम पटेल)

(Rajasthan Act 3 of 1955) shall, wherever used herein, be construed to have the meaning assigned to them by the said Act;" तो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में यह कह दिया कि अगर इसमें डेफिनेशन नहीं है तो राजस्थान टीनेंसी एक्ट में जो डेफिनेशन है, वही इसमें मानी जायेगी और राजस्थान टीनेंसी एक्ट में जो डेफिनेशन दी गयी है, उस एक्ट में भू-स्वामी को जो बताया गया है, मीनिंग उसमें दूसरा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको कंसीडर करें और कंसीडर करेंगे तो आप यह पायेंगे कि भू-स्वामी का तात्पर्य ही दूसरा है। लैण्ड होल्डर, टीनेंट, बिस्वेदार, भू-स्वामीदार, इन सबको डिफाइन किया हुआ है और भू-स्वामी का अंग्रेजी मीनिंग आपने इसमें लिखा है लैण्ड होल्डर, वह लिखा है "After the abolition of 'Jagir', 'Zamindari' and 'Biswedari', in the Rajasthan State that become the land holder therefore; fully inspected the division of the Agriculture Tenancy, as it is the reason to be under Section 53(4), of the Rajasthan Tenancy Act, has been provided the land holder to be made." तो यह जो लैण्ड होल्डर की डेफिनेशन है, इसलिए मेरा सब्मिशन है, इस डेफिनेशन को ठीक करें और डेफिनेशन ठीक करेंगे तो आपका जो मकसद है वह पूरा होगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि इसमें आपने सैक्शन-2 में तो अमेंडमेंट बता दिया लेकिन यह जो वर्ड यूज किया गया है, और जगह भी यूज़ किया गया है, उसको डिफाइन करने के लिए नहीं किया है। आपने 12(4), सब-क्लाज (2) में ही अमेंडमेंट मांगा है। धारा-4, सब-क्लाज (3) के प्रोविजों में जो वर्ड यूज किया गया है, उसमें अमेंडमेंट मांगा ही नहीं है। इसलिए मेरा सब्मिशन है, उसमें भी आप अमेंडमेंट मांगें और यह जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है, राजस्थान टीनेंसी एक्ट है और इस एक्ट में जो डेफिनेशन है, उसको कंसोलिडेट करके, इसको ठीक करें, मेरा इतना ही निवेदन है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं पुन: आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि यह प्रोग्रेसिव बिल है, महिलाओं के सशक्तीकरण का जो हमारा उद्देश्य है, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का जो हमारा नारा है, उसी के तहत एक कदम है उसके लिए आपका आभार। ये जो टैक्निकल डिफिकल्टी है उसको ठीक करेंगे, धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता...।

श्री अध्यक्ष: आप चेयर को एड्रेस कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संबोधित किया है पहले आपको। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 विचार के लिए सदन में लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी है, इसके उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट लिखा है कि हमारी जो जल प्रबंध की व्यवस्था है, जल उपयोक्ता संगम से लेकर उपभोक्ता समिति, वितरण समिति और परियोजना समिति इनमें किसी भी स्तर पर महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता था और एक तरफ जहां पर राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में महिला सशक्तीकरण का नारा दिया है और केवल आज से नहीं 2008 में वूमेन पॉवर के उद्देश्य से भामाशाह योजना लागू की, भामाशाह योजना में गरीब परिवार की मुखिया महिला होगी और सरकारी योजनाओं का तमाम लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा, प्रत्येक स्तर पर उसमें महिला की अगुआई होनी चाहिए। राजस्थान सरकार का नजरिया एक तरफ हर स्तर पर गरीब महिलाओं को आगे करना यह प्राथमिकता सरकार की बन गयी। असेम्बली से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात लगातार उठती रही है हर मंच पर, ऐसे में हमारी सरकार और मंत्रीजी ने जल उपभोक्ता समितियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, यह अलग बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ये जो परियोजना है वर्तमान में राजस्थान में जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी 'जायका' से 2300 करोड़ रुपये का ऋण हमारे राजस्थान जल संसाधन विभाग को मिला है।

मुझे तकलीफ है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आज ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व पारित होने के बाद जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी से 2300 करोड़ रुपये की ऋण योजना को फाइनल करके राजस्थान के सिंचाई क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं उस योजना पर तार्किक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चर्चा होती, कांग्रेस के मेरे मित्र सदन का समय जाया करने के बजाय अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर चर्चा करते। किसानों के कर्जे माफ करने की चिन्ता करने वाले कांग्रेस के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में नैतिक साहस है, अगर आप किसानों के पक्षधर और हितैषी हैं तो अपनी-अपनी टेबल पर जाएं और चर्चा करें कि इस राजस्थान में कौनसी सरकार ने किसानों के हित की चिन्ता की है, कौन सी सरकार ने किसानों की अनदेखी की है। अगर आप किसानों के हितैषी होते, आपने अगर राजस्थान में किसान के हितों की रक्षा की होती तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो परिदृश्य आज राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि कल तक जो सत्ता पक्ष में बैठा करते थे आज सीमित संख्या में विरोध में बैठे हुए हैं, जिनकी आवाज तक इस सदन के बाहर निकल नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के मित्र 2013 के चुनाव के जनता के हथौड़े की मार से निराशा और हताशा में आज भी बैठे हुए हैं। अजमेर और अलवर का लोकसभा चुनाव इनको इस प्रकार का आचरण करने के लिए मजबूर कर रहा है। निराशा और हताशा में जब चुनाव का एक साल बचा है, अलवर और अजमेर लोक सभा का चुनाव माथे पर है तब इनको लग रहा है कि हम केवल स्कोरिंग करने के लिए इस राजस्थान की विधान सभा में ये जो बिल पारित हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देश की लोक सभा के मैम्बर रहे हैं, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, ये जो बिल पारित हो रहा है यह हजारों सालों तक राजस्थान में कानून की शक्ल में काम करेगा। यह जो कानून पारित हो रहा है यह कानून राजस्थान की सिंचाई के प्रबंध की व्यवस्था में सैकड़ों सालों तक माइलस्टोन बनने वाला है। ऐसे महत्वपूर्ण बिल के समय पर सदन में चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन का समय खराब करने का आचरण प्रतिपक्ष के लोगों का राजस्थान देख रहा है, किसी भी सूरत में राजस्थान इन लोगों को माफ नहीं करेगा।

मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है यह अपने आप में क्रांतिकारी बिल है लेकिन मैं इस बिल के माध्यम से एक-एक क्लॉज पर अगर बात करूंगा, इस बिल को लाने के पीछे उद्देश्य राजस्थान में ऐसे जल उपयोक्ता संगम जिनका चुनाव होना आवश्यक है,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लेकिन उसकी सदस्यता में भूस्वामी अगर पुरुष और महिला का प्रतिनिधित्व नहीं है तो कोई भूस्वामी की परिभाषा लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेन्सी एक्ट में परिवर्तन नहीं किया, केवल चुनाव लड़ने के उस उपयोक्ता संगम और समितियों के लीगल राइट्स देने के लिए, वैधानिक राइट्स देने के लिए एक्ट लाये हैं कि सिंचाई विभाग की उपयोक्ता संगम, जल वितरण समितियां या अन्य प्रबंधन समितियों में जहां पर अगर भूस्वामी पुरुष है और महिला के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है तो भूस्वामी की परिभाषा में पति-पत्नी दोनों को परिभाषित किया है। अगर पति खातेदार है तो पत्नी उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है और पत्नी खातेदार है तो पति उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लिबरल कानून महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वास्तविक चिन्ता कि जहां पर महिला निर्वाचित होकर आने की स्थिति में नहीं है, यह ऐतिहासिक कदम वहां पर चाहे जल उपयोक्ता संगम हो, वितरण समिति हो, प्रबंध समिति हो या कोई सी भी समिति हो महिलाओं का सहवरण किया जाएगा तब जाकर समिति का अपना डेमोक्रेटिक इलेक्टिव ढांचा पूर्ण माना जाएगा, लोकतांत्रिक चुना हुआ ढांचा उसका पूर्ण माना जाएगा। एक ऐसा बिल जो राजस्थान की महिलाओं के इस जल वितरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी बनने का आज सदन में पेश किया जा रहा है और नारे लगाकर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के ऋण माफी की बात कर रहे हैं।

मैं आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं कोटा से आता हूं। कोटा में माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने चम्बल की नहरों के सुदृढीकरण के लिए 2012-13 में 1274 करोड़ रुपये की घोषणा की थी और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा कोटा, 2012-13 में जिस प्रकार से काम एक ठेकेदार को पिछली सरकार ने दिया पांच साल गुजर जाने के बाद 1274 करोड़ रुपये में से 50-60 करोड़ का काम पूरा नहीं कर पाया, उसने केवल 2013 के चुनाव में कांग्रेस के लोगों को उपकृत किया। 2013 के चुनाव में सत्ता के लोगों को उपकृत करके 1274 करोड़ के काम के पलीता लगाने वाला ठेकेदार, मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चाहता हूं कि हमने शिकायत दी, कांग्रेस राज में जिस प्रकार का 'अंधेर नगरी, चौपट राजा' कोई पूछने वाला नहीं बेईमानीपूर्वक नहरों की सुदृढ़ता के लिए जो पैसा आया उसको हजम करने का काम सरकार और ठेकेदार मिल कर कर रहे हैं, मंत्रीजी ने उसके खिलाफ जांच बैठायी। जांच बैठायी और उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की। उसका ठेका निरस्त करके दुबारा ठेका करने की कार्यवाही प्रारंभ की। मैं तो इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इतना कहना चाहता हूं कि आप एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। राजस्थान की सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में यह मील का पत्थर होगा। हमें 'जायका' से 2300 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। ऋण मिलने के बाद राजस्थान के सिंचाई प्रबंधन में किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ गयी, डीपीआर बन गयी है, टेण्डर प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। हमारी मॉनिटरिंग इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए, जिस प्रकार से कांग्रेस राज में ठेकेदारों ने मोनोपॉली की,

सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज वह 1274 करोड़ की परियोजना 2000 करोड़ रुपये लग जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकती। हमें सख्ती के साथ इनकी मोनिटरिंग करनी पडेगी। हमें ताकत के साथ, नियंत्रण के साथ जो हम निविदा जारी करें निर्धारित समय पर, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ठेकेदार इस काम को पूरा करे, इसके लिये चैक एण्ड़ पाइंट मोनिटरिंग की सख्त व्यवस्था होनी चाहिये। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोग कितना ही चिल्लाएं, राजस्थान की जनता पूर्ण विश्वास और उम्मीद के साथ माननीय मंत्री महोदय आपकी तरफ देख रही है और जिस किसान की आज कर्ज माफी की बात हो रही है, सिंचाई के अभाव में किसान त्रस्त है, धरती वही रानी जिसके माथे पर पानी, पानी और सिंचाई के प्रबन्ध के अभाव में वह धरती का पुत्र किसान रो रहा है। अगर उसके खेत में सिंचाई का प्रबंध है, उसके खेत में फसल को पिलाने के पानी का समुचित प्रबंध है तो अपना कर्जा चुकाना पुरुषार्थ और परिश्रम के आधार पर वह स्वयं जानता है। हम इस राजस्थान के किसान को परिश्रमी और पुरुषार्थी कैसे बनाये, इसके बारे में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरकार को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिये। हम परिश्रम और पुरुषार्थ के आधार पर किसान को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, कर्जा लेकर कर्जा चुकाने वाला बनाये, उसके लिये जरूरी है कि उसके लिये मानवीय संसाधन जुटाये, उसको सुदृढ़ करने के लिये, उसकी खेती को मजबूत करने के लिये जरूरी संसाधन जुटायें, इस दिशा में सरकार अब आगे बढ़ गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा यह बिल राजस्थान की सिंचाई में एक अद्भुत क्रांति लायेगा और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। दुनिया में यह संदेश जाएगा कि वूमन पावर का जो सपना लेकर राजस्थान की मुख्य मंत्री चली हैं, वह अब निचले स्तर तक पहुंचने लगा है, चौपाल तक महिला के सशक्तीकरण की बात अब प्रारंभ हुई है। आपने मुझे मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाडी। ...(व्यवधान)... श्री सुखराम विश्नोई ...(व्यवधान)... श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव ...(व्यवधान)... डा. फूलचन्द भिण्डा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश हुआ है, आपने मुझे इस पर समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान)... जल के दक्षतापूर्ण उपयोग में कृषकों की सहभागिता में ...(व्यवधान)... 2000 में राजस्थान में सिंचाई प्रणाली के संबंध में कृषकों की सहभागिता ...(व्यवधान)... किया गया था। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 के विद्यमान प्रबंधों के अनुसार परियोजना क्षेत्र में केवल ...(व्यवधान)... के सदस्य है। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान)... जल का सही मायने में, जल है तो किसान है और किसान जल का उपयोग सही ढंग से करे, दक्षतापूर्ण पानी का उपयोग करे तभी खेती संभव होती है। यह किसानों के हितैषी जिस तरह से बात कर रहे हैं, इन्होंने 60 साल में किसान की जो हालत की है उस हालत को देखा जाए। जिस तरह से तीन साल पहले मोदी जी राज में आये उन्होंने किसाने के जो कर्जे माफ किये, किसानों की फसल का बीमा किया, किसानों की जो फसलें खतम हुईं उसका किसानों को मुआवजा देकर, पूरे भारत में पहली किसान की फसल को अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या शीतलहर से नुकसान होता था, 50 परसेंट पर मुआवजा देने वाले यह लोग किस मुंह से बात करते हैं। आपको किसान गांवों में पूछेगा कि आप 50 परसेंट खराबा होने पर उसको मुआवजा देते थे, आज उसको 33 परसेंट खराबे पर और पंचायत को इकाई मानते हुए, उस पंचायत में अगर किसान का खराबा हुआ है तो भी हमारी सरकार उसका मुआवजा देती है। इन्होंने 60 साल तक राज करके केवल किसानों को बरगलाया, किसानों का केवल शोषण किया। आज अगर कोई किसान मर रहा है तो वह कांग्रेस सरकार की बदौलत मर रहा है। इन्होंने 60 साल तक किसान को इसी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया। आज पानी का सही ढंग से उपयोग करने के लिये अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, यह भी इनको रास नहीं आ रहा है। मैं सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पानी का सदुपयोग करने के लिये, पानी की एक एक बूंद के लिये राजस्थान तरसता है, पानी का सही ढंग से उपयोग करने के लिये प्रबंध कमेटी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर यह बिल लाये हैं, निश्चित रूप से यह एक मील का पत्थर साबित होगा। टेल तक किसानों को पानी पहुंचे इसके लिये महिलाएं भी सशक्त होकर इस प्रबंध समिति से दक्षतापूर्ण पानी का उपयोग करेंगे और पानी का सही ढंग से उपयोग करके खेती को बढावा देंगे। कांग्रेस सरकार ने पांच साल तक धारिया बांध जो फूट चुका था, मैंने विधान सभा में बार बार कहा था कि धारिया बांध फूट चुका है उस पर पैसे लगाइये, इन्होंने फूटी कोड़ी नहीं लगाई। हमारे सिंचाई मंत्रीजी जो किसानों के हितैषी हैं, उन्होंने धारिया बांध के लिये खुले दिल से 45 करोड़ रुपये स्वीकृत किये,

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं सदन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उस धारिया बांध के बनने से मेरे क्षेत्र के किसानों की माली हालत सुधरेगी। किसान आपको वहां बुलाने के लिये अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप यहां पर किसानों के लिये जिस तरह के घडियाली आंसू बहा रहे हैं, जनता आपके आंसुओं को समझ चुकी है और आने वाले समय में आपको करारा जवाब देगी। किसान विरोधी यह कांग्रेसी आज जिस तरह से सदन में कर रहे हैं, किसानों के बिल पर आपको बोलना चाहिये किन्तु आप इस तरह से सदन में हंगामा करके किसानों का जो बिल आया है उसको आप हंगामें की भेट चढ़ाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिंचाई मंत्रीजी, आपने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की मन में जो इच्छा जाहिर की है, वास्तव में आपके दिल में पानी की एक एक बूंद का उपयोग, राजस्थान की जनता को यह मैसेज दिया है कि आने वाले समय में पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करके किसान की भलाई के लिये उपयोग करेंगे। ऐसा बिल लाकर आपने कार्य किया है, इस बिल की मैं प्रशंसा करता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी, श्री मानिक चन्द सुराना ...(व्यवधान)... माननीय प्रभारी मंत्री जी।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 पर माननीय सदस्यों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने विचार रखे, मैं माननीय सदस्यों का आभारी रहूंगा और जो सुझाव आपने दिये हैं निश्चित तौर पर रूल्स के फ्रेम करने के टाइम इन तमाम बिन्दुओं को शामिल किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह लंबा चौड़ा मामला नहीं है और 4-5 मिनट अगर आप रुकोगे तो आपके गले को भी आराम मिल जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने

(डा. रामप्रताप)

एक बात इस बिल के ऊपर कही है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने चंबल नहरों के जीर्णोद्धार की बात की। मैं आपसे बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च, 2012 में 1274 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गयी थी। मैं पूरे सदन का और माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष तौर से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1274 करोड़ रुपये का प्रोविजन इन्होंने कांग्रेस के राज में रखा एवं घोषणा की और इन्होंने पौने दो साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पांच करोड़ रुपये लगाए। ये लोग आज किसानों के लिए हल्ला कर रहे हैं। पांच करोड़ रुपये लगाए और वे भी सिर्फ सर्वे के लिए लगाए। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): एक इंच नहर का निर्माण इन्होंने नहीं किया। ये किसानों के हितैषी हो रहे हैं। एक इंच नहर का निर्माण इन्होंने नहीं किया और 1274 करोड़ रुपये की घोषणा करके, इस किस्म के लोग आज हितैषी बन रहे हैं। मैं अंत में बचपन की बात आपको निवेदन करना चाहता हूं। प्रजातंत्र के ऊपर आज से बहुत साल पहले एक बुजुर्ग आदमी ने एक कविता लिखी थी। (..व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): डोटासरा जी सुनो।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): डोटासरा जी हो चाहे दूसरे हों। मैं आपका विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि उस आदमी ने मारवाड़ी में कविता में लिखा। उसका भाव यह था कि जब चुनाव आने लगे किसान जो तेरी झोपड़ी है, वह झोपड़ी हमें अच्छी लगती है। अन्यथा 1274 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और केवल पांच करोड़ रुपये ही व्यय किए। इसके अलावा एक धेला नहीं लगाया। ऐसे लोग यहां पर आकर हल्ला कर रहे हैं। सदन का समय का खराब कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बिल को पास करवाएं। राजस्थान के किसान को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अच्छा मैसेज जाए कि हम महिलाओं की सहभागिता को कितना महत्व दे रहे हैं? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक का जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

कोई बोलना चाहता है क्या?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

खण्ड 2 से 7 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किए गए।

खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डॉ. रामप्रताप, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करूंगा कि बहुत ही संक्षिप्त और छोटा 20 एवं 30 का संशोधन है। इसलिए मैंने जो अपना संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसे वापिस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय आज राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 (..व्यवधान..)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): जितनी सीटें हैं उसकी आधी सीटें भी नहीं आनी कांग्रेस की। आप तो ऐसे ही कुएं में पड़े रहो। आप तो वैल में आराम से बैठे रहो।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए। इधर का एक भी शब्द नहीं हो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, Rajasthan ReliefUndertaking (Special Provisions) Act, 1961. राजस्थान अधिनियम संख्या-9 की धारा-3 में माननीय अध्यक्ष महोदय एक संशोधन किया जा रहा है। ऐसे उपक्रम जहां राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे उद्योग जिन्हें राज्य सरकार ने लगाया हो, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनके करने दो। ये अपनी काबिलियत बता रहे हैं। बताने दो। इधर का एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): राज्य सरकार ने अधिगृहीत या टेकऑवर किया या फाइनेंस किया हो। ऐसे उद्योग अगर रुग्णता की स्थिति में आते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय Rajasthan Relief Undertaking (Special Provisions) Act, 1961 की धारा-3 में, जिसमें धारा-18ए लागू होना प्रस्तावित है, उस धारा-18ए के तहत ऐसे तमाम कारख़ानों को रुग्ण घोषित करके सरकार टेकऑवर कर सकती है और सरकार ने राजस्थान अधिनियम की धारा-3 में प्रावधान किया है। ऐसे कारखानों को दो साल के लिए सहायता देंगे, जिससे वे पुनर्जीवित हो सकें। न केवल कारखाना पुनर्जीवित हो, उस कारखाने पर जिन अधिकारी वर्ग और मजदूर वर्ग की आजीविका निर्भर करती है। उन लोगों का जीवन समुचित रूप से चलता रहे, इस मौलिक चिंता के साथ सरकार ने यह प्रावधान किया है कि ऐसे कारखानों को जीवंत बना रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार संसाधन उपलब्ध कराए और दो साल के बाद सरकार उसको अधिसूचना द्वारा 12 महीने के लिए लगातार 20 वर्षों तक बढ़ा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार देखने में आया है कि लगातार 20 सालों तक सहायता उपलब्ध कराने के बाद भी कई सार्वजनिक उपक्रम रुग्णता की स्थिति से बाहर नहीं आए और ऐसे हालात में ऐसे उपक्रम जिन पर हज़ारों लोगों की आजीविका निर्भर करती थी, ऐसे उपक्रम जिनमें सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये का निवेश था, 20 सालों की सहायता के बाद भी अगर पुनर्जीवित नहीं हुए और उनको चलाए रखना सरकार के लिए बहुत आवश्यक विषय बन गया, इसलिए यह गुंजाइश इस कानून के द्वारा खड़ी की गयी कि दस वर्षों तक उनको और सहायता दे, जिससे किसी-न-किसी तरीके से लोगों की आजीविका और उद्योग दोनों का जीवन संचालित होता रहे। और इसीलिए यह आवश्यक सुधार इस बिल के माध्यम से लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सैक्शन 8 में 18 (A) लागू होता है। जब उस उद्योग को रुग्ण घोषित करते हैं तो सरकार को गंभीरतापूर्वक विषय पर विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब कोई उद्योग रुग्णता की स्थिति में आ रहा है, 18 (A) के तहत सरकार डिक्लियरेशन कर रही है उस स्थिति में उसके रूट कॉज मूल कारण पर सरकार को जाना चाहिए कि आखिर जीवंत रूप से चलने वाला कारखाना किन परिस्थितियों के कारण रुग्णता की स्थिति में आ गया। हम आर्थिक रूप से संसाधन उपलब्ध कराएं। उसको फण्डिग करे, कानून में संशोधन करें लेकिन उसके मूल कारणों में जाकर जिन कारणों से कारखाने का दम घुटने लगा, रुग्णता की स्थिति में आया है उस रूट कॉज पर जाकर ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने चाहिए। उस रूट कॉज में जाने के बाद उसकी रुग्णता के कारण तथ्यात्मक रूप से सरकार के सामने आएं, लगातार 30 साल तक उसको सहायता उपलब्ध कराने के समानान्तर उन कारणों को मीट आउट करने के बारे में सरकार के गंभीर प्रयास नजर आने चाहिए। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में भी लॉज में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हम रूट कॉज में जाएंगे नहीं, लगातार हम रुग्ण इकाई को सहायता पर सहायता देते जाएंगे। क्या गारंटी है कि 20 साल की लगातार सहायता के बाद रुग्णता की स्थिति से जो कारखाना बाहर नहीं आया वह 30 साल की सहायता के बाद बाहर आ जाएगा। 30 साल सहायता देने के बाद भी जो कारखाना सरकार के ऊपर अन्ततोगत्वा बोझ बनकर गिर जाए, लोगों की आजीविका का, उम्र के 50-55 साल के पड़ाव में, रिटायरमेंट की उम्र में कर्मचारी आने लगे वहां आकर सबके जीवन पर बोझ बन जाए, उस स्थिति को 30 सालों में कैसे समाप्त करेंगे? ...(व्यवधान)... किस तरीके से उसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। आज 50 साल, 30 साल, 25 साल पहले कारखाने सरकारी उपक्रम हो या निजी क्षेत्र के हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया में जिस प्रकार के औद्योगिकी नवाचार हुए, जिस प्रकार की तकनीक आई है, नई तकनीक के कारख़ानों के सामने पुराने उद्योगों का टिकना सर्वाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उस चैलेंज में अपने आपको शामिल करें, सहायता मात्र से काम नहीं चलेगा। हमारा कारखाना जो सहायता मांग रहा है, झटका खा रहा है, सहायता के साथ-साथ उसमें तकनीकी का इस्तेमाल करके, उसकी गति की तीव्रता को बढ़ाने के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लिए रूट कॉज में जाकर उन कारणों को समाप्त करके, किस तरीके से उसको नई प्रौद्योगिकी के साथ पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा सकता है, अगर हमने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 साल तक सरकार पर बोझ बनने वाला कारखाना 30 साल बोझ बनने के बाद भी वह स्थाई बोझ बनेगा। लेकिन हमने आधुनिक तकनीकी के नवाचारों के साथ उसके टैक्नीकल सिस्टम को साउण्ड करके, उसको सुदृढ़ करके, उसको पुनर्जीवित करने का ...(व्यवधान)... औद्योगिक वातावरण के आधुनिक नवाचार है उस चुनौती में लड़ने के लिए उसको तैयार करके खड़ा किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान के औद्योगिक वातावरण में हम एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का औद्योगिक वातावरण वैसे ही बहुत हताशा, निराशा में है, कई उद्योग बंद हो रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की यह चिंता मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चिंता है कि उद्योगों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। सरकार का यह कदम क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इन क़दमों के समानान्तर वह तमाम कदम उठाए जाने चाहिए, जो केवल सरकार पर बोझ बने, उससे पहले हम उसको सैल्फ स्टैंडिंग, अपने पैरो पर खड़ा करने की स्थिति में कैसे कारखाने को तैयार कर सकते हैं, कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर भी अगर सरकार रूट कॉज का अध्ययन करके कमेटी बनाकर, 20-30 सालों में लगातार हर 12 महीने फडिंग करते चले जाएंगे, फडिंग करने मात्र से काम नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)... जब आप सैक्शन 18 (A) के तहत अंडरटेकिंग लेंगे, उसको रुग्ण घोषित करेंगे। उसी समय आपकी एक हाई पावर कमेटी बननी चाहिए जो प्रतिवर्ष उसका मूल्यांकन करें, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है या घट रही है। घट रही है तो कौनसे कारण हो सकते हैं, बढ़ रही है तो और किस ताकत से कौनसे नवाचारों के साथ इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। एक तकनीकी समिति भी स्थाई रूप से उस कारखाने में हर साल मोनीटरिंग के लिए और उसके हिसाब से रिपोर्ट के आधार पर फडिंग की जाए। मंत्री महोदय, यह कमेटी भी प्रतिवर्ष उसके काम की मोनीटरिंग की बननी चाहिए। नवाचारों से उसको खडे होने का अवसर दिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आभार व्यक्त करता हूं। मैंने जो संशोधन दिया है उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री सुखराम विश्नोई। श्री देवेन्द्र कटारा। श्री रामहेत सिंह यादव। डा. फूलचंद भिण्ड़ा। श्री केसाराम चौधरी। ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) विधेयक, 2017 आज सदन में पेश हुआ है। इसमें जो संशोधन कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो इधर का। ...(व्यवधान)... इनका अंकित नहीं हो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अधिनियम में वर्ष 1982 तथा 1999 में संशोधन किए गये। वर्ष 1982 में अधिकतम अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की गयी। 1999 में अधिकतम अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की गयी ...(व्यवधान)... सरकार किसी उपक्रम में कोई भी राशि लगाती है, राशि लगाने के बाद उस उपक्रम को सफलता पूर्वक काम करने के लिए वह निश्चित समय सीमा में ...(व्यवधान)... उत्पादन की स्थिति में नहीं आ पाता।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सरकार द्वारा लगाए गये जो भी पैसे लगते हैं वह बेकार चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके ठीक से काम नहीं करने के कई कारण हो सकते हैं। कई उपक्रम 20 वर्ष तक सहायता उपक्रम की स्थिति में रहने के उपरांत भी रुग्णता से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कई कारणों से हो जाता है। न्यायालय में रिवाइवल का मामला लंबा चल जाता है। पुनर्जीवन हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना अथवा ऐसे प्रस्ताव का सभी संबंधित ...(व्यवधान)... सहमति नहीं होना आदि ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी बहादुरी राहुल गांधी तक पहुंच गयी, बैठ जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ऐसी स्थिति में लंबे समय तक इकाई पुनर्जीवित नहीं हो पाती है। ...(व्यवधान)... ऐसे उपक्रमों की सहायता अवधि में विस्तार नहीं किया जाता है तो उसका पुनर्जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ...(व्यवधान)... ऐसे उपक्रमों का घाटा निरंतर बढ़ता जाता है। अंत में वह राज्य के लिए भार बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने जो निर्णय किया है वह सरकार के ऊपर भार नहीं बने, 20 साल से उसका समय बढ़ाकर 30 साल की रुग्णता के लिए बढ़ा दिया जाए, ताकि वह इकाई अपने उत्पादन में वृद्धि करके, सरकार के द्वारा लगाई पूंजी का उपयोग करके, सरकार की पुन: भरपाई कर सके। ऐसी स्थिति में यह बिल लाकर, उसकी रूग्णता का समय 20 साल से बढ़ाकर 30 साल किया है, उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि उसको समय देकर ...(व्यवधान)... वह इकाई अच्छी तरह से काम करने लग जाए। 30 साल में सरकार का लगाया हुआ पैसा वापस अदा कर सके ऐसी स्थिति में लाने के लिए यह बिल आया है। निश्चित रूप से मैं इसकी तारीफ करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, मैं मेरे जनमत के प्रस्ताव को वापस लेता हूं। जयहिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। ...(व्यवधान)... माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रद्युम्न सिंह साहब को, जिन्होंने कहा कि ...(व्यवधान)... आपको राजस्थान के किसानों को कर्जदार बनाने के लिए जवाब देना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन के तीन डायमेंशन्स है। प्रोडेक्टिविटी को बढ़ाना, कैपीटल फोर्मेशन करना और तीसरा एम्प्लायमेंट का जनरेशन करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इण्डस्ट्रीयल सैक्टर में बहुत तेजी के साथ तब्दीली आ रही है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

(14.00 बजे)

टैक्नोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं। दुनिया के बाजार का डायनामिक्स बदल रहा है। इन बदलते हुए डायनामिक्स के साथ में अपने आपका तारतम्य बैठाने के लिये उद्योग क्षेत्र के लोगों को कई परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों से जूझते हुए कुछ इकाइयां रुग्ण हो सकती हैं, रुग्ण हो जाती हैं। उन इकाइयों को रुग्णता से बाहर लाने की कोशिश के तहत कुछ कानूनों, कुछ श्रम कानूनों के तहत उनको प्रोटेक्शन देने का अधिकार मिलना चाहिएं। मैं समझता हूं यह समय पहले पांच साल था, उसको अमेंडमेंट करके दस साल किया गया, उसके अमेंडमेंट के बाद उसको बीस साल किया गया। इस अमेंडमेंट के जरिये उस पीरियड को हम तीस साल करना चाहते हैं। जिससे कि कई इकाइयों का रिवाइवल हो सके, वे रुग्णता के दौर से बाहर आ सकें। तिलम संघ का एकुमुलेटेड लॉस जो पहले 20-22 करोड़ से ज्यादा था, वह 14 करोड़ हो गया है। जो कई यूनिट्स फायदे में नहीं थीं, उन यूनिट्स को फायदे में लाने में उसके कारण से फायदा पहुंचा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अमैंडमेंट को आप पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन प्रस्ताव श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री केसाराम चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.03 बजे बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नवलगढ़ में पेयजल योजना के लम्बित प्रस्ताव

2. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में पेयजल की क्या-क्या व्यवस्था है? शहर एवं ग्रामवार जनसंख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितना पेयजल उपलब्ध कराए जाने के मानदंड निर्धारित हैं तथा क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल की समस्या को मद्देनजर रखते हुये नई पेयजल योजनाएं बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन शहरों/गांवों में नई पेयजल योजनाएं बनाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त क्षेत्र के पेयजल से संबंधित किस-किस कार्य के प्रस्ताव कहां-कहां और कितनी राशि के लंबित हैं? लंबित प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर से झुंझुनूं जिले के कस्बों और गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं? यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं से उक्त जिले के किन-किन कस्बों व गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजनाओं में विधान सभा क्षेत्र नवलगढ सम्मिलित नहीं हैं? यदि हां, तो क्यो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(7) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के मद्देनजर कस्बों व गांवों को उक्त परियोजनाओं से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के शहर नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ तथा समस्त 109 आबाद ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है। योजनावार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र के शहर नवलगढ़ में जल सेवा स्तर में आवश्यक सुधार एवं पेयजल के समान वितरण हेतु राशि रुपये 2017.76 लाख की पुनर्गठित जल योजना की स्वीकृति जारी की जाकर उक्त योजना के चार पैकेजों का कार्यादेश दिया जा चुका है तथा सम्पूर्ण योजना माह नवम्बर, 2018 तक पूर्ण करनी निर्धारित है।

(2) राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं/परियोजनाओं के अभिकल्पन में पेयजल आपूर्ति हेतु जल सेवा स्तर (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) के निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के शहर नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ तथा 109 ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ सहित सीकर जिले के शेष 6 कस्बों एवं 865 ग्राम तथा झुन्झुनूं जिले के शेष 6 कस्बे एवं 321 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान हेतु सर्वेक्षण कार्य व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु राशि रुपये 453.63 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.01.2017 को जारी की गयी है।

सर्वे एवं डी.पी.आर. के कार्य हेतु सलाहकार फर्म मैसर्स पीडीकोर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दरों के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(4) उपरोक्तानुसार। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु किसी भी योजना के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर वर्तमान में स्वीकृति हेतु लंबित/विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां। इंदिरा गांधी कैनाल आधारित चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल को सतही जल स्रोत लेकर एकीकृत तारानगर-झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी वृहद् पेयजल परियोजना-प्रथम चरण के प्रथम पैकेज के रूप में जिला झुन्झुनूं की तहसील झुन्झुनूं एवं खेतड़ी के कुल 5 शहर (झुन्झुनूं, बग्गड़, मण्डावा, खेतड़ी व गोठड़ा) तथा 258 ग्राम (विधान सभा क्षेत्र, खेतड़ी के 85 ग्राम, झुन्झुनूं के 86 ग्राम एवं मण्डावा के 87 ग्राम) को लाभान्वित करने हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभाग की नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 954.74 करोड़ की जारी की जा चुकी है। परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा परियोजना दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण कर उक्त 5 कस्बों एवं 258 ग्रामों को लाभान्वित करना अपेक्षित है। उक्त परियोजना में सम्मिलित कुल 258 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुरूप चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से विधान सभा क्षेत्र, सूरजगढ़ के कस्बा सूरजगढ़, 190 ग्राम एवं 69 ढाणियों में तथा विधान सभा क्षेत्र, उदयपुरवाटी के कस्बा उदयपुरवाटी, 94 ग्राम एवं 504 ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय नीति निर्धारण समिति की 197वीं बैठक दिनांक 25.04.2016 द्वारा क्रमश: राशि रुपये 624.85 करोड़ एवं रुपये 644.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विधान सभा क्षेत्र, सूरजगढ़ एवं उदयपुरवाटी के उक्त परियोजना में सम्मिलित कस्बों एवं ग्रामों की सूची परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से उक्त दोनों परियोजनाओं के बाह्य वित्त पोषण संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(6) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के 2 कस्बे क्रमश: नवलगढ़ एवं मुकन्दगढ़, 109 ग्राम तथा 95 ढाणियों सहित सीकर जिले के शेष 6

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

कस्बों, 865 ग्राम एवं इनकी ढाणियों तथा झुन्झुनूं जिले के शेष 5 कस्बे, 269 ग्राम एवं इनकी ढाणियों में पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु सतही जल स्रोत (नहरी पानी) उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कार्य व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु राशि रुपये 453.63 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.01.2017 को जारी की गयी है।

सर्वे एवं डी.पी.आर. के कार्य हेतु सलाहकार फर्म मैसर्स पीडीकोर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दरों के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(7) जी हां। परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरोक्तानुसार जारी की जा चुकी है। डी.पी.आर. तैयार होने के उपरान्त अनुमानित लागत का निर्धारण हो सकेगा तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति जारी होने के उपरान्त क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल नदी की दायीं व बायीं मुख्य नहरों का जीर्णोद्धार

3. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा चम्बल नदी की दायीं और बायीं मुख्य नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 1274 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त स्वीकृत राशि से नहरों का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार को उक्त नहरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार में अनियमितता और भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार चम्बल नदी की नहरों में स्काडा प्रणाली द्वारा नहरी पानी की मॉनिटरिंग करवानें का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में राशि रुपये 1274.00 करोड के जीर्णोद्धार कार्य चम्बल परियोजना की दांयी एवं बांयी नहरों पर करवाये जाने की घोषणा की गयी थी। बजट घोषणा के क्रियान्वयन अन्तर्गत 803.25 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी, विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रथम चरण में दिये गये कार्यादेश राशि रु. 228.82 करोड़ के विरुद्ध संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने से राशि रु. 106.515 करोड़ का ही कार्य सितम्बर, 2017 तक सम्पादित किया गया। द्वितीय चरण के अन्तर्गत राशि रु. 53.73 करोड़ के कार्यादेश के कार्य संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किये जाने से पुनः आमंत्रित निविदा प्रक्रियाधीन है। द्वितीय चरण के शेष एवं तृतीय चरण के कार्य राशि रु. 411.17 करोड़ के कार्यादेश अप्रैल, 2017 में दिये गये, जिसके विरुद्ध माह सितम्बर, 2017 तक राशि रु. 12.17 करोड़ का व्यय किया गया है, कार्य प्रगतिरत है।

(3) जी हां। चम्बल नहरों के जीर्णोद्धार कार्यो की गुणवत्ता सम्बन्धी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। कार्यो का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक नहीं किये जाने पर एक कनिष्ठ अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता को सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोप पत्र कार्मिक विभाग को अग्रिम आवश्यक कारवाई हेतु भिजवाया गया है। संवेदक को डिफेक्टिव कार्य तोड़कर पुनः किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु संवेदक द्वारा केवल एक पैकेज से सम्बन्धित डिफेक्टिव्ज को दुरूस्त किया गया जिस पर शेष पैकेजेज में अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत कार्यवाही की जा रही है तथा संवेदक की सुरक्षा राशि रु. 10.60 करोड़ एवं 3.14 करोड़ का भुगतान रोका गया है।

(4) जी हां। चम्बल नहर प्रणाली में स्काड़ा संस्थापन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 04.05.2017 को जारी की जा चुकी है। स्काड़ा लगाने के प्रस्ताव स्टेट ई-गर्वनेन्स मिशन टीम (SeMT) से अनुमोदन हेतु भिजवाये गये है, अनुमोदन उपरान्त स्काड़ा लगाने की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 4

(स्थगित)

करौली अनुसूचित जाति निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

5. श्री रमेश (सपोटरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 से 2017 के मध्य करौली जिले में किसी प्रधानाध्यापक द्वारा बिना नियमानुसार विभागीय प्रक्रिया का पालन किये परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति निगम, करौली में प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण किया गया है? यदि हां, तो कब एवं किसकी अनुमति से?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त अधिकारी को निलम्बित किये जाने का आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो कब एवं क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश के विरुद्ध न्यायालय से यथास्थिति के आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

(4) क्या सरकार ने उक्त अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों की जांच कराई हैं? यदि हां, तो कब एवं क्या उक्त तथ्य पूर्णतया सही एवं नियमानुसार पाये गये हैं? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अग्रेत्तर क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अब क्या अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुजा निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर परियोजना प्रबन्धको के पदों को राजकीय सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। परियोजना प्रबन्धक, करौली के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु श्री रामकेश मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुगडार, तहसील मण्डरायल, जिला करौली द्वारा आवेदन किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, करौली के पत्र क्रमांक

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

जि.शि.अ/माध्य/करौली/अनापति प्रमाण पत्र/एसपी 1 दिनांक 24.10.2016 के द्वारा श्री रामकेश मीणा प्रधानाचार्य को अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया है (सलंग्न परिशिष्ट 1) अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामकेश मीणा का साक्षात्कार लिया जाकर परियोजना प्रबन्धक, करौली के पद पर चयन किया गया था। अनुजा निगम के आदेश क्रमांक एफ 32 (55)अनुजा संस्थापन/पीएम नियुक्ति/ 14240-14257 दिनांक 25.01.2017 द्वारा जारी आदेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वुगडार जिला करौली के कार्यमुक्ति आदेश क्रमांक 147 दिनांक 28.01.2017 के अनुसरण में श्री रामकेश मीणा ने अपनी उपस्थिति दिनांक 01.02.2017 को परियोजना प्रबन्धक करौली के पद पर दी है। (सलंग्न परिशिष्ट 2)

(2) जी हां। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि.जांच/11130/आर-261/17/ 11 दिनांक 18.08.2017 द्वारा श्री रामकेश मीणा परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम करौली को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। श्री मीणा के विभागीय प्रक्रिया का पालन किये बिना एनओसी प्राप्त किये दूसरे विभाग में कार्यग्रहण करने के कारण राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया है। (सलंग्न परिशिष्ट- 3)

(3) जी नहीं श्री रामकेश मीणा द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या SB Civil Writ Petition No. 15041/17 दायर की गयी है, जिसकी अगली सुनवाई 06.12.2017 को निर्धारित की गयी है।

(4) अनुजा निगम द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका के तथ्यो की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में प्रबन्धक (वित्त) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(5) अनुजा निगम द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में कराये गये विकास कार्य

6. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत एक वर्ष में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर नगरपालिका से जनप्रतिनिधियों द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या सूचनाएं चाही गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जन प्रतिनिधियों द्वारा वांछित सूचनाएं उन्हें कितने दिनों में देने का प्रावधान तथा उक्त सूचनाएं उन्हे कब कब प्रदान की गयी? समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए कौन-कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगरपालिका द्वारा माह जनवरी, 2017 से 15 अगस्त 2017 तक किस-किस योजना में, किन-किन वार्डों में, क्या-क्या निर्माण कार्य स्वीकृत एवं पूर्ण कराये गये? कराये गये कार्यों से संबंधित एएस, टीएस, एफएस व यूसी/सीसी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में किन-किन संवेदकों के पक्ष में कौन-कौनसे निर्माण कार्य स्वीकृत हुए एवं किस-किस कार्य के पेटे कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व अन्य अनियमितताओं के संबंध में स्थानीय प्रशासन को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत एक वर्ष में नगरपालिका, जहाजपुर में जनप्रतिनिधियों द्वारा चाही गयी सूचना का तिथिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जन प्रतिनिधियों द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने हेतु दिनों की संख्या का निर्धारण नही किया हुआ है। नगरपालिका, जहाजपुर में जन प्रतिनिधियों द्वारा 08 सूचनाएं चाही गयी थी। जिनमें से 04 सूचनाएं जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गयी। एक प्रकरण में अनुमानित 2000 से

(स्वायत्त शासन मंत्री)

3000 प्रतियां होने के कारण तत्समय सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। अध्यक्ष, नगरपालिका, जहाजपुर द्वारा 03 सूचनाएं चाही गयीं, जिनकी पत्रावलियां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रेषित किये जाने के कारण उपलब्ध नहीं करवायी गयी। उक्त आशय की सूचना अध्यक्ष, नगरपालिका, जहाजपुर को दे दी गयी थी। शीघ्रातिशीघ्र वांछित सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, जहाजपुर को निर्देशित किया जा रहा है।

(3) नगरपालिका जहाजपुर द्वारा माह जनवरी, 2017 से 15 अगस्त, 2017 तक स्वीकृत एवं पूर्ण करवाये गये निर्माण कार्यों का वार्डवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर एवं प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) उक्त अवधि के दौरान निर्माण कार्यों का संवेदक वार एवं भुगतानवार विवरण परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या 06 व 08 पर अंकित है।

(5) उक्त अवधि के दौरान नगरपालिका, जहाजपुर के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 7

(स्थगित)

प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण

8. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अत्यधिक समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवाओं के नियमितीकरण को लेकर आंदोलनरत हैं? यदि हां, तो क्यों? सरकार उनकी उचित मांगों को कब तक पूरा करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या-क्या घोषणाएं की गयी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 53442 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 5605 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 52540 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत है। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय में 01.06.2016 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिये 400 रु. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिये 300 रु. एवं सहायिका, सहयोगिनी एवं साथिनों हेतु 250 रु. प्रतिमाह वृद्धि की गयी है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी, प्रत्येक को प्रतिवर्ष 10 ग्रीष्मकालीन एवं 10 शीतकालीन अवकाश विभागीय आदेश क्रमांक 29156-416 दिनांक 30.08.2017 से स्वीकृत करने के आदेश जारी किये गये हैं

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु वर्क परफोरमेन्स आधारित प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना बनाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आब्जेक्टिव मापदण्डों के आधार पर प्रतिमाह 250 से 500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु वर्क परफोरमेन्स आधारित प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना बनाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंब्जेक्टिव मापदण्डों के आधार पर प्रतिमाह 250 से 500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में देय मानदेय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए की गयी घोषणाओं का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डग में अवैध खनन पर कार्यवाही

9. श्री रामचन्द्र (डग): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में रायल्टी का ठेका नहीं होने पर भी पीपल्या में कोटा स्टोन वेस्ट पर रॉयल्टी की अवैध वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध वसूली करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने एवं वसूल की गयी अवैध राशि को राजकोष में जमा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के मिश्रोली गांव में अवैध खनन द्वारा पत्थरों की निकासी हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध खनन रोकने का विचार रखती है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग का जहां बजरी का टैण्डर नहीं है वहां किन नियमों के तहत बजरी का खनन किया जा रहा है? क्या सरकार इसे रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र डग में तहसील पंचपहाड़ एवं गंगधार का क्षेत्र आता है। झालावाड़ जिले की तहसील पंचपहाड़, झालरापाटन व पिडावा तथा कोटा जिले की तहसील रामगंजमण्डी में खनिज लाइमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन) के स्वीकृत खनन पटटों से निकलने वाले खनिज लाइमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन) अर्थात् कोटा स्टोन व उसके साथ निकलने वाला मेसेनरी स्टोन (काली चाट) के लिये अधिक अधिशुल्क वसूली का ठेका दिया हुआ हैं। उक्त खनन क्षेत्रों से निर्गमित खनिज पर एक्सेस रायल्टी वसूल करने के लिये विभाग द्वारा ठेकेदार को अधिकृत किया हुआ है। तहसील पंचपहाड़ के ग्राम पीपल्या में अधिक अधिशुल्क वसूली ठेकेदार द्वारा नाका स्थापित कर नियमानुसार एक्सेस रायल्टी वसूल की जा रही है। ठेकेदार द्वारा अवैध रायल्टी की वसूली नहीं करने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र डग के मिश्रोली गांव में अवैध खनन कर पत्थरों की निकासी नहीं की जा रही है।

(3) डग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली तहसील गंगधार में खनिज बजरी के खनन हेतु एक खनन पट्टा 1179.84 हैक्टेयर क्षेत्रफल का

(राज्य मंत्री, खान)

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया हुआ है, जिसमें खनन पट्टाधारी द्वारा बजरी का खनन किया जा रहा है।

तहसील पंचपहाड़ में खनिज बजरी की बहुत कम मात्रा उपलब्ध है, जहां पर कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से विभाग द्वारा लगातार चैकिंग की जाती है एवं अवैध खनन/निर्गमन के प्रकरण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के 04 प्रकरण सामने आये जिनसे 1,06,000/- रुपये वसूल किये गये है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में माडा योजना से वंचित ग्राम

10. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किन-किन गांवों में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा होने के उपरान्त भी उक्त गांवों को माडा योजना में शामिल नहीं किया गया है? कारणों सहित ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों को माडा योजना में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा पाकेट (लघुखण्ड) के गठन के संबंध में भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन प्राप्त हुई है। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गांवों में अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत से ज्यादा वाले गांवों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं। उक्त गांवों में जिनकी आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है लेकिन माडा क्षेत्र के गठन

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

संबंधी मानदण्डो की पूर्ति नही करने के कारण उक्त ग्रामों को माडा योजना में शामिल नही किया गया है।

(3) वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रस्तावों के अनुमोदन पश्चात माडा एवं माडा क्लस्टर क्षेत्रों के विस्तार के प्रस्ताव तैयार किये जाएंगे। यदि उक्त क्षेत्र माडा एवं माडा क्लस्टर के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करते हैं तो उन्हें प्रस्तावों में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित टोल नाके

11. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन-किन शहरों में वर्तमान में कितने टोल नाके संचालित हैं तथा कितने टोल नाके खोले जाने प्रस्तावित है? जिलेवार हाइवे, टोल-नाकों एवं शहरी टोल नाकों की संख्या सूची सिहत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के संभाग मुख्यालय के केन्द्र बिन्दु से कितनी दूरी पर कौन-कौनसे टोल नाके संचालित हैं एवं कौन-कौनसे टोल नाके चालू किये जाने प्रस्तावित है? उक्त टोल नाकों से प्रतिदिन गुजरने वाले प्रत्येक श्रेणी के वाहनों की औसत संख्या एवं इनसे प्राप्त औसत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के ऐसे कौन-कौनसे टोल नाके हैं जो लागत से कई गुना ज्यादा वसूली के उपरान्त भी वर्तमान में संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सभी स्तर के टोल नाकों पर वसूली, संचालन के निर्धारण हेतु एक सर्वदलीय कमेटी गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश की सड़कों पर खोले जा चुके एवं प्रस्तावित टोल बूथों के स्थान एवं जिलेवार हाइवे, टोल-नाकों एवं शहरी टोल नाकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) प्रदेश के सम्भाग मुख्यालय शहरों के केन्द्र बिन्दु से टोल नाकों की दूरी एवं नये टोल नाकों की सूची एवं उक्त टोल नाकों से प्रतिदिन गुजरने वाले प्रत्येक श्रेणी के वाहनों की औसत संख्या एवं औसत आर्थिक वसूली का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) प्रदेश में ऐसे कोई टोल नाके नहीं है जो लागत से कई गुना ज्यादा वसूली के उपरान्त भी संचालित किये जा रहे हैं।

(4) राज्य सरकार के पास टोल नाकों पर वसूली, संचालन के निर्धारण हेतु सर्वदलीय विशेषाधिकार कमेटी गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगानेर की लम्बित पेयजल परियोजनाएं

12. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर बसी कालोनियों को पेयजल योजनाओं से जोड़ने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे मकान जो पैतृक कृषि भूमि पर बसे हुए हैं और उक्त कृषि भूमि के आस-पास कालोनियां बस गयी हैं, में पेयजल कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं एवं जो पैतृक कृषि भूमि पर बसे हुए हैं उनको कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं, यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त को भी कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की पत्रावली वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए लंबित है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार उक्त की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु जल संबंध जारी करने पर कोई रोक नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) पैतृक कृषि भूमि पर बसे आवासीय भवनों में जल संबंध की मांग किये जाने पर प्रार्थियों द्वारा आवासीय भवन/भूमि के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने, नियमानुसार अंशदान राशि जमा कराने तथा उपलब्ध पेयजल वितरण तंत्र में पर्याप्त जल दबाव की फिजिबिलिटी होने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल संबंध जारी किये जाते हैं।

कृषि भूमि में कालोनाइजर द्वारा जारी आवासीय भवन के पट्टे के क्षेत्रफल के अनुसार अंशदान राशि राजकोष में जमा करा कर कालोनीवासियों को जल संबंध स्वीकृत कर जारी किया जाता है परन्तु कृषि भूमि पर निर्मित आवास में जल संबंध हेतु पैतृक कृषि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भू-खण्ड के दस्तावेज अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रफल (पूर्ण कृषि भूमि) के होने के कारण नियमानुसार अंशदान की राशि काफी अधिक आती है तथा यह राशि प्रार्थी द्वारा जमा नहीं कराये जाने के कारण जल संबंध जारी नहीं हो पाता है।

अनुमोदित अंशदान की दरों के संबंध में विभागीय नीति निर्धारण समिति द्वारा परिचलन (सर्कुलेशन) से लिये गये निर्णय दिनांक 24.01.2002 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। पृथ्वीराज नगर एवं इसके आस-पास घनी आबादी का क्षेत्र (डिग्गी मालपुरा रोड से सीकर रोड के मध्य का क्षेत्र) जिसमें विधान सभा क्षेत्र, सांगानेर के वार्ड संख्या 32 का आंशिक क्षेत्र, वार्ड संख्या 33 एवं 34 का पूर्ण क्षेत्र तथा वार्ड संख्या 35 एवं 40 का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है, में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध आधारित परियोजना बनाई गयी है। विभागीय तकनीकी समिति की 657वीं बैठक दिनांक 12.09.2017 द्वारा इस परियोजना की तकनीकी सहमति राशि रुपये 854.22 करोड़ की प्रदत्त की गयी है।

उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा रुपये 60.00 करोड़ की राशि विभाग में जमा कराई गयी है। इस परियोजना हेतु शेष राशि के प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु भिजवाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। परियोजना का क्रियान्वयन आवश्यक समस्त स्वीकृतियों के उपरान्त प्रारम्भ किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर के बड़ी का तालाब व फतेहसागर को भरने की योजना

13. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पिछोला झील में रायता, पीपल्या, उबेश्वर घाट से आने वाला पानी पिछोला झील भरने के बाद उदयपुर से बाहर चला जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी को रोककर बड़ी का तालाब व फतेहसागर को भरने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पिछोला झील को भरने के लिए पानी रायता, पीपल्या की पहाड़ियों के अतिरिक्त देवास प्रथम एवं द्‌वितीय अपवर्तन योजना से आता है तथा उबेश्वर घाटे का पानी बड़ी का तालाब में जाता है। पिछोला झील भरने के बाद ओवरफ्लो का पानी निर्मित बांध क्रमश: उदयसागर, वल्लभनगर एवं बडगांव में जाता है।

फतेहसागर बांध में 11 फीट गेज तक पानी पिछोला झील से तथा चिकलवास फीडर के माध्यम से पूर्ण भराव गेज 13 फीट तक आता है। रायता, पीपल्या की पहाड़ियों, फतेहसागर एवं पिछोला का जलग्रहण क्षेत्र उदयसागर बांध का इन्टरसेप्टेड जलग्रहण क्षेत्र होने से इनका पानी रोककर बड़ी का तालाब में डाला जाना विचाराधीन नहीं है।

रेवदर में मूंगफली खरीद केन्द्र की स्थापना

14. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर में मूंगफली की बम्पर पैदावार होती है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में पंचायतवार मूंगफली की औसत पैदावार का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में मूंगफली की बम्पर पैदावार होने के उपरान्त भी सरकार द्‌वारा उक्त स्थान पर खरीद केन्द्र नहीं खोला गया हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री जगसी राम)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में मूंगफली के सरकारी खरीद केन्द्र खोलकर किसानों को मूंगफली उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रेवदर में मूंगफली के पैदावार (उत्पादन) की स्थिति निम्नानुसार रही है:-

(उत्पादन (क्विन्टल में)					
फसल	2012	2013	2014	2015	2016
मूंगफली	10226	10934	15554	18358	23961

(2) गत 5 वर्षो के दौरान पंचायतवार मूंगफली पैदावार का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। रेवदर में मूंगफली की खरीद हेतु खरीद केन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(3) जी हां। इस हेतु रेवदर विधान सभा क्षेत्र के रेवदर में खरीद केन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में निराश्रित बाल गृहों के संचालन हेतु देय अनुदान

15. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी गैर सरकारी संस्थाओं को निराश्रित बालगृहों के संचालन हेतु भूमि आवंटित की गयी है तथा किन-किन संस्थाओं को वर्ष 2006 से 30.09.17 तक भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में गैर सरकारी संस्थाओं को निराश्रित बालगृहों के संचालन हेतु वर्ष 2006 से गैर आवर्तक मद का अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो वर्षवार किन-किन संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया है? व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल संरक्षण योजना का संचालन वर्ष 2011-12 से किया गया है, अत: वर्ष 2011-12 से 30.09.2017 तक गैर सरकारी संस्थाओं को निराश्रित बालगृहो के संचालन हेतु भवन निर्माण हेतु किसी प्रकार का कोई अनुदान नही दिया गया है। भारत सरकार से गैर सरकारी संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु कोई राशि आवंटित नही की है, अत: गैर आवर्तक मद में भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन नही किया गया।

(2) समेकित बाल संरक्षण योजना का संचालन वर्ष 2011-12 से किया गया है, अत: उक्त योजना में अनुदान वर्ष 2011-12 से दिया जा रहा है। वर्ष 2011-12 से गैर आवर्तक मद में आवंटित राशि का वर्षवाइज विवरण परिशिष्ट 1 पर सलंग्न है। समेकित बाल सरक्षण योजना में भारत सरकार से गैर सरकारी संस्थाओं हेतु गैर आवर्तक मद में जो राशि प्राप्त होती है, उन्ही संस्थाओं को उक्त मद की राशि का भुगतान किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली नगर परिषद् द्वारा मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों में निस्तारित प्रकरण

16. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद पाली में मई, 2017 से चलाये गये मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण शिविर में पट्टा, भूपट्टी, भवन निर्माण स्वीकृति, सहविभाजन-एकीकरण-हस्तान्तरण एवं अन्य कौन-कौनसे प्रकरणों की पत्रावली कब-कब जमा की गई एवं इनमें से किन-किन प्रकरणों का निस्तारण कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसे प्रकरण, कितनी-कितनी अवधि से, किन-किन कारणों से लंबित है एवं कौन-कौनसे प्रकरण किन-किन कारणों से खारिज कर दिये गये है? लंबित प्रकरणों में से किस-किस प्रकरण का निस्तारण कब-कब कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली नगर परिषद, में माह मई, 2017 से चलाये गये मुख्य मंत्री

(स्वायत्त शासन मंत्री)

शहरी जन कल्याण शिविर में पट्टा, भूपट्टी, भवन निर्माण स्वीकृति, सहविभाजन-एकीकरण, नाम हस्तान्तरण एवं अन्य प्रकरणों का प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्राप्त प्रकरणों का एवं इनमें से निस्तारित किये गये प्रकरणों का तिथिवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद, पाली में पट्टों हेतु लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 05 पर अंकित है। उक्त प्रकरण राशि जमा कराने का अभाव, कोर्ट-स्टे, न्यायिक विवाद, अपूर्ण दस्तावेज, कनिष्ठ अभियन्ता रिपोर्ट व आपत्ति प्रकाशन एवं सैट-बैक नहीं होने के कारण लम्बित है। लम्बित रहें प्रकरणों में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाकर शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

17. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? क्या उक्त स्वीकृत केन्द्रों के भवन बने हुए हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौनसे आंगनबाड़ी केन्द्रों के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन रहित स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रमश: मकराना ग्रामीण एवं मकराना शहर संचालित है, जिसके अन्तर्गत मकराना ग्रामीण में 212 एवं मकराना शहर में 47 कुल 259 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित है। जिनमें से मकराना ग्रामीण में 24 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विभागीय भवन बने हुए है, शेष 188 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मकराना शहर

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

के 47 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विभागीय भवन बने हुए नही है। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं संचालन की स्थिति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

मकराना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, मकराना ग्रामीण में महानरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 08 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण स्वीकृत किये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में क्रूड ऑयल के अवैध दोहन पर रोक की कार्ययोजना

18. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर में अत्यधिक तेल के भंडार है तथा यहां से काफी मात्रा में तेल का दोहन भी किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा तेल दोहन की प्रक्रिया पर पूर्ण ध्यान नहीं देने के कारण करोड़ों रुपये के क्रूड ऑयल की चोरी की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर जिले में क्रूड ऑयल की चोरी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा क्रूड ऑयल की चोरी की जॉच किन-किन एजेंसियों से करवाई जा रही है? उक्त जांच कब तक पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी जायेगी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बाड़मेर में गत दो वर्षों में क्रूड ऑयल के अवैध दोहन से कितने राजस्व का नुकसान हुआ? क्या सरकार क्रूड ऑयल की चोरी से हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर में खोजे गये 38 तेल एवं गैस क्षेत्रों के अन्तर्गत खनिज तेल के 1002 मिलियन बैरल ऑयल समकक्ष भण्डार प्रमाणित किये गये हैं तथा वर्तमान में 1 लाख 60 हजार बैरल प्रतिदिन खनिज तेल का दोहन किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा तेल दोहन प्रक्रिया पर पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन खनिज तेल उत्पादन की ऑनलाइन रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। क्रूड ऑयल की चोरी की रोकथाम के लिये CCTV Camera एवं Vehicle Tracking System लगाये गये हैं तथा बाडमेर-सांचोर बेसिन से उत्पादित क्रूड ऑयल का परिवहन पाइप लाइन के माध्यम से किया जा रहा है तथा छोटे क्षेत्रों का मात्र 3 प्रतिशत भाग ही टैंकरों के माध्यम से परिवहन किया जाता है।

टैंकर से क्रूड ऑयल चोरी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा तत्परता से कार्यवाही कर बाड़मेर जिला प्रशासन/पुलिस एवं ऑपरेटर कम्पनी केयर्न एनर्जी द्वारा चार एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गयी। प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2017 को जयपुर में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं आपरेटर कम्पनी केयर्न एनर्जी को दोषियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(3) क्रूड ऑयल की चोरी की जांच पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, एस.ओ.जी. एवं ए.टी.एस. राज. द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार आपरेटर कम्पनी के स्तर पर टैंकरों से क्रूड ऑयल का परिवहन स्थगित कर दिया गया है तथा परिवहन कम्पनियों के वर्क ऑर्डर निलम्बित कर दिये गये हैं।

(4) बाड़मेर-सांचौर बेसिन से क्रूड ऑयल का रॉयल्टी राजस्व राज्य सरकार को उत्पादन पर मिलता है तथा क्रूड ऑयल की चोरी उत्पादन के उपरान्त परिवहन के दौरान हुई है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.08.2017 की बैठक में जिला कलेक्टर, बाडमेर, ऑपरेटर कम्पनी केयर्न एनर्जी, केन्द्र सरकार की पार्टनर कम्पनी ओ.एन.जी.सी. एवं महानिदेशक हाइड्रोकार्बन के प्रतिनिधियों को क्रूड ऑयल की चोरी से हुए सरकार राजस्व की हानि का

(राज्य मंत्री, खान)

आंकलन करने के निर्देश दिये गये हैं। इस पर जांच एजेन्सी से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर महानिदेशक हाइड्रोकार्बन, केन्द्र सरकार से आंकड़ों का सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिये संचालित छात्रावास

19. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास खोले जाते हैं? यदि हां, तो दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक कितने छात्रावास खोले गये? जिला व पंचायत समितिवार छात्र व छात्राओं के लिए खोले गये छात्रावासों की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में जुलाई, 2017 में प्रत्येक छात्रावास में कितने-कितने छात्र व छात्राओं को प्रवेश दिया गया? छात्रावासवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि छात्रावासों में व्यवस्थापक (वार्डन) नियुक्त किये जाते हैं? यदि हां, तो उक्त वार्डनों द्वारा छात्र व छात्राओं को सुबह नाश्ता व जलपान क्या-क्या दिया जाता है? छात्रावासवार वार्डनों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सुविधा प्रदान करने के लिए छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रदेश में 30.09.2017 तक खोले गए छात्रावास की सूची जिला व पंचायत समितिवार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) छात्रावासवार बालक व बालिकाओं के प्रवेश की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक नियुक्त किये जाते है। छात्रावास में बालक व बालिकाओ को सुबह नाश्ता व जलपान में दिये जाने वाले मीनू परिशिष्ट-ब पर संलग्न है व छात्रावासवार वार्डनों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-बीकानेर फोरलेन सड़क से वंचित गांवों का सर्वे

20. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीकर में जयपुर रोड़ से बीकानेर रोड़ के बीच फोरलेन से वंचित रामू का बास तिराहे से दासा की ढाणी, हरदयालपुरा, कुडली होते हुए फतेहपुर रोड़ पर सबलपुरा, जगमालपुरा, भैंरूपुरा, भादवासी होते हुए भढ़ाढ़र तक कुल 10 किलोमीटर के हिस्से का सरकार द्वारा सर्वे कराया जा चुका है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त 10 किलोमीटर सड़क को फोरलेन बनाए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त सड़क का निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

रामगढ़ में पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना

21. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 1 जनवरी, 2014 से 30 सितम्बर, 2017 तक किस-किस वर्ष में कितने-कितने नवीन हैण्डपम्प, सिंगलफेज एवं अन्य ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भारी किल्लत होने के कारण सरकार से अतिरिक्त हैण्डपम्प, सिंगलफेज बोरवेल स्वीकृत किये जाने हेतु बार-बार मांग की गयी है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में 30 नवीन हैण्डपम्पों की स्वीकृति का क्या आधार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में हैण्डपम्प,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सिंगलफेज, आर.ओ. प्लान्ट, थ्रीफेज, पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, रामगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू एवं संतोषप्रद बनाये रखने हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2014 से दिनांक 30 सितम्बर, 2017 की अवधि में विभिन्न पेयजल योजनाओं अंतर्गत 272 नवीन हैण्डपम्प, सौर ऊर्जा आधारित 10 सिंगल बोरवेल एवं 37 थ्री-फेज नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गयी।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध 242 हैण्डपम्प, सौर ऊर्जा आधारित 5 सिंगल बोरवेल एवं 33 थ्री-फेज नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्षवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, रामगढ़ में एक कस्बा गोविन्दगढ़ एवं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 252 ग्राम सम्मिलित हैं। पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित कस्बा, गोविन्दगढ़ में वर्तमान में 49 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

क्षेत्र के 252 ग्रामों में से 8 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 10 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 66 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 168 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित है। क्षेत्र में समस्त योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं तथा इन योजनाओं से समस्त ग्रामों में भू-जल उपलब्धतानुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है। ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विभिन्न माध्यमों से समय-समय पर प्राप्त मांग पत्रों एवं क्षेत्र की पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए भू-जल की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार माह जनवरी, 2014 से सितम्बर, 2017 की अवधि में पेयजल संबंधी स्वीकृत कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) ग्रीष्म, 2017 में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु आकस्मिक उपायों के तहत प्रदेश के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में 30

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

हैण्डपम्प (हैण्डपम्प फिजिबल न होने की दशा में समान राशि के अन्य कार्य) प्रति विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत करने हेतु समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को दिनांक 08.05.2017 को अधिकार पत्र जारी किया गया। पत्र की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, रामगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू एवं संतोषप्रद बनाये रखने हेतु माह जनवरी, 2014 से सितम्बर, 2017 की अवधि में पेयजल संबंधी स्वीकृत कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में निर्धारित पेयजल गुणवत्ता के निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गयी। इस स्वीकृति के विरुद्ध 4 संयंत्र स्थापित कर चालू कर दिये गये हैं तथा शेष 27 संयंत्र मार्च, 2018 तक स्थापित कर चालू करना अपेक्षित है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

क्षेत्र के 3 ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में पेयजल पाइप लाइनों के बिछाने एवं जोड़ने के कार्य हेतु जारी स्वीकृति के विरुद्ध 2 ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं 1 ग्राम हेतु प्रगतिरत कार्य माह दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करना अपेक्षित है। विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर में गुडगांव कैनाल से पानी की आपूर्ति

22. श्रीमती अनीता (नगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर के गांवों को गुडगांव कैनाल से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो कामां व डीग के प्रत्येक गांव में कितना-कितना पानी दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भरतपुर को जी.एम.सी. से पानी देने के लिए राजस्थान

(श्रीमती अनीता)

सरकार व हरियाणा सरकार का समझौता हुआ है, यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा हरियाणा व उत्तर प्रदेश में भरतपुर के हिस्से के पानी की हो रही चोरी को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) भरतपुर जिले में जीएमसी के माध्यम से 500 क्यूसेक यमुना जल उपयोग करने की क्षमता विद्यमान है। यमुना जल आवंटन के संबंध में दिनांक 12.05.1994 को हुए समझौते अनुसार राज्य को मानसून अवधि में आंवटित जल के पूर्ण उपयोग हेतु जी.एम.सी. की जल प्रवाह क्षमता बढ़ाये जाने हेतु एम.ओ.यू. तैयार कर हरियाणा सरकार को दिनांक 14.02.2003 को हस्ताक्षर हेतु भिजवाया गया, जिस पर हरियाणा सरकार की सहमति आज दिनांक तक अपेक्षित है।

(3) सरकार द्वारा हरियाणा एवं उतरप्रदेश में राज्य के हिस्से के पानी की चोरी को रोकने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुहाना मण्डी गृह निर्माण सहकारी समिति की सचिवालय नगर योजना में भू-खण्डधारियों को कब्जा

23. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा मुहाना मण्डी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सचिवालय नगर विस्तार भू-खण्डधारियों को कब्जा देने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के भू-खण्डधारियों को कब्जा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना - सचिवालय नगर के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में लगभग 25 न्यायिक प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनमें तकासमे के प्रकरण भी हैं। इस योजना की भूमि की 90-बी कार्यवाही संभागीय आयुक्त द्वारा निरस्त की गयी, जिसमें समापक द्वारा की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन एल.आर.1997/2015 तथा 2001/2015 आंशिक रूप से समिति के पक्ष में निस्तारित हुई है। राजस्व मण्डल द्वारा 6 बिन्दु निर्धारित कर संभागीय आयुक्त को विनिश्चय हेतु प्रति प्रेषित किया गया, जो संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील संख्या -451/2016 व 452/2016 पर विचाराधीन है। अत: उक्त लंबित न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरणों के निस्तारण पर ही भू-खण्डधारियों को कब्जा दिया जा सकेगा।

(2) जी हां। इस योजना के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में निस्तारण पर प्रकरणों के निर्णय अनुसार भू-खण्डधारियों को कब्जा देने की कार्यवाही की जाएगी।

कोटा नगर विकास न्यास द्वारा उड़िया बस्ती में भू-खण्डों का आंवटन

24. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास न्यास कोटा द्वारा तलवण्डी के समीप स्थित उडिया बस्ती खाली कराने का क्या उद्देश्य था? बस्ती खाली होने के बाद नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उक्त भूमि पर कितने भू-खण्ड काटे गये? कितने भू-खण्ड नीलामी के माध्यम से किन-किनकों आवंटित किये गये एवं कितने भू-खण्ड वर्तमान में शेष है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उडिया बस्ती की जमीन पर भूमि के बदले भूमि के रूप में भी भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किनकों एवं उनकी भूमि कहां-कहां पर स्थिति थी तथा

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

उनकों उक्त स्थान पर भूमि देने का क्या औचित्य था? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा तलवण्डी के समीप स्थित उडिया बस्ती खाली कराने का मुख्य उद्देश्य उडिया बस्ती में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव एवं गंदगी के कारण जी रहे नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ स्थान पर योजना बनाकर आवास निर्माण कराये जाकर आवंटित करना था। आवंटित आवासों में सभी मूलभूत सुविधाएं यथा पानी, बिजली, सड़कें, नालियां, सामुदायिक भवन उपलब्ध कराये गये है।

उक्त भूमि पर नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा रिक्त 45 भू-खण्डों की योजना काटी गयी है, जिसमें से 10 भू-खण्डों का विक्रय नीलामी के द्वारा किया गया। उक्त योजना में कुल 19 भू-खण्डों पर वर्तमान में स्टे प्रभावी है, इनके अतिरिक्त 11 भू-खण्ड रिक्त है। इस प्रकार इस योजना में कुल 30 भू-खण्ड रिक्त है। नीलामी द्वारा किये गये आवंटन की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा उडिया बस्ती की जमीन पर भूमि के बदले भूमि के तहत दीवानी वाद संख्या 208/89 एवं 211/89 में पारित आदेश की पालना में न्यास द्वारा रावतभाटा रोड की भूमि के बदले भू-खण्ड संख्या 285, 286 तथा 293, 294 का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त भू-खण्ड संख्या 291 का आवंटन रामपुरा बाजार से सरोवर टाकीज को जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़क के निर्माण के क्रम में लैण्ड फॉर लैण्ड के तहत आवंटन किया गया। जिनके आवंटन की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में डायन प्रताड़ना अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

25. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या महिला बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में "डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015" के लागू होने के बाद कुल कितनी घटनाएं महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटित हुयी?

(श्री जोगाराम पटेल)

(2) क्या यह सही है कि महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने की ज्यादातर घटनाएं आदिवासी क्षेत्रों वाले जिलों में घटित हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु सख्त कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश में वर्ष 2015 से 25 सितम्बर, 2017 तक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने के कितने प्रकरण किस किस थाने में दर्ज हुए व कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के लागू होने के बाद कुल 127 घटनाएं महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटित हुई है।

(2) जी हां। यह सही है कि महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने की ज्यादातर घटनाएं आदिवासी क्षेत्रों वाले जिलों में घटित हो रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों के जिलों के अतिरिक्त कुछ अन्य जिलों में भी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाएं घटित हो रही है।

जी हां। उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु सख्त कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है। इस हेतु उक्त अपराध की घटनाओं की रोकथाम पीड़िता की सुरक्षा पुर्नवास तथा डायन प्रताड़ना के आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 एवं राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण नियम 2016 को प्रवृत कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत डायन प्रताड़ना के आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु उक्त अपराध को गैर जमानती माना गया है तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालन प्रस्तुत करने का सख्त प्रावधान रखा गया है। अधिनियम एवं नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त अपराध के घटित होने पर विभाग के द्वारा प्रकरण को अधिनियम की धाराओं में दर्ज करने और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही

(राज्य मंत्री, महिला बाल विकास)

करने हेतु संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों/जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट को पत्र लिखे गये हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा अधिनियम के प्रचार-प्रसार अपराध की रोकथाम पीड़िता के पुर्नवास आदि के क्रम में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

इसी संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-द पर सलग्न है।

(3) प्रदेष में वर्ष 2015 से सितम्बर 2017 तक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने के कुल 127 प्रकरण दर्ज हुये है जिनमें से 73 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेष किये जा चुके है। विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खान मालिकों को देय सुविधाएं

26. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा रायल्टी वसूल करने के लिए क्या नियम निर्धारित हैं तथा किन-किन वस्तुओं व खनिजों पर रायल्टी वसूली जा रही है?

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना व परबतसर में मार्बल पर रायल्टी किस प्रकार वसूली जा रही है? खान से निकलने वाले पत्थरों पर कितनी प्रतिशत रायल्टी है व सरकार द्वारा खान मालिकों की सुविधा के लिए क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्रधान खनिजों की रायल्टी एम.एम.डी.आर.एक्ट 1957 की धारा 9 के अन्तर्गत द्वितीय अनुसूची में वर्णित दरों के अनुसार वसूली की जाती है, प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। अप्रधान खनिजों की रायल्टी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 23 के अन्तर्गत द्वितीय अनुसूची में वर्णित दरों के अनुसार वसूल की जाती है। प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, खान)

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना व परबतसर में मार्बल पर रायल्टी, रायल्टी वसूली ठेकेदार के माध्यम से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के द्वितीय शिड्यूल में वर्णित दरों के अनुसार वसूल की जा रही है। उक्त द्वितीय शिड्यूल में खनिज मार्बल पर रायल्टी की दरें खान से निकलने वाले पत्थरों के आकार, उनके माप व उपयोग के आधार पर निर्धारित की हुई हैं, जिसका अंकन परिशिष्ट-2 के क्रम संख्या 5 में किया हुआ है। सरकार द्वारा खानधारकों को समस्त राशि ऑन-लाइन जमा करवाने, मासिक आंकड़े ऑन-लाइन प्रस्तुत करने तथा खान से ही ई-रवन्ना जारी किये जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। क्षेत्र की मकराना-परबतसर रेलवे लाइन के समीप बंद पड़ी खानों को चालू करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा रेलवे विभाग को 7.9498 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इन बंद पड़ी खानों को चालू कराने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। मकराना डूब व खनन क्षेत्र को सीवरेज से जोडने हेतु नगर परिषद मकराना को 108.96 लाख रुपये दिये गये जिसका उपयोग खानों में एकत्रित हुए बरसात के पानी को नगर परिषद द्वारा क्रय की गयी भूमि तक पाइप-लाइन डालकर ले जाने व पौण्ड की खुदाई हेतु प्रयुक्त किया गया। विभाग द्वारा खानों पर सुगम आवागमन हेतु दस सड़कों का भी निर्माण करवाया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में जनजाति विकास हेतु पंचायतवार बजट का प्रावधान

1. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में प्रदेश में जनजाति के विकास के लिये सरकार द्वारा विभिन्न जिलों हेतु बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे जिलों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले के खण्ड सिवाना, समदड़ी व सिणधरी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आबादी के प्रतिशत को आधार मानकर ग्राम पंचायतवार जनजातियों के विकास के लिये अलग से बजट प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति विकास के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा गत चार वर्षों में प्रदेश में विभिन्न जिलो हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। जिलेवार प्रावधान की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। राज्य में प्रत्येक विभाग द्वारा अपने बजट में से जनजाति विकास हेतु बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 के अंतर्गत आयोजना विभाग के द्वारा जारी सीलिंग एवं वित्त विभाग के बजट निर्णायक समिति द्वारा अनुमोदन अनुरूप बजट का जिलेवार प्रावधान किया जाता है।

(2) बाड़मेर जिले के खण्ड सिवाना, समदड़ी व सिणधरी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आबादी प्रतिशत को मानकर ग्राम पंचायतवार जनजातियों के विकास के लिए अलग से बजट प्रावधान करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी झोपड़ी से सीतौड़ का भट्टा (बामनवास) तक डामर सड़क का निर्माण

2. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(श्री अजीत सिंह)

(1) ग्राम पंचायत सीतौड़ तहसील बामनवास में स्थित बड़ी झौपड़ी से सीतौड़ का भट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 बी तक की दूरी कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीतौड़ का भट्टा से बड़ी झौपड़ी ग्राम पंचायत सीतौड़ तहसील बामनवास तक डामर की सड़क नहीं होने के कारण छोटी झौपड़ी तथा बड़ी झौपड़ी के नागरिकों को बरसात के समय 8 किलोमीटर की दूरी तय करके श्योसिंहपुरा सड़क से पिपलाई होते हुए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार छोटी झौपड़ी तथा बड़ी झौपड़ी के ग्रामवासियों की समस्या के मद्देनजर बड़ी झौपड़ी से सीतौड़ का भट्टा तक डामर की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सीतौड़ तहसील बामनवास में स्थित बड़ी झौपड़ी से सीतौड़ का भट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 बी तक की दूरी 1 किमी. है।

(2) जी हां। बड़ी झौपड़ी गांव डामर सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसकी आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1112 है, लेकिन छोटी झौपड़ी राजस्व गांव नहीं है। बड़ी झौपड़ी से सीतौड़ का भट्टा (एन.एच.-11बी) तक की डामर सड़क का निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

बाड़ी से उमरेह बाईपास सड़क का निर्माण

3. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत मुख्यालय उमरेह के पास विशनगिरी बाबा के प्रसिद्ध मन्दिर पर प्रतिदिन राजस्थान व अन्य प्रान्तों से काफी तादाद में दर्शनार्थी एवं यात्री आते हैं एवं इस मन्दिर पर प्रतिवर्ष लक्खी मेला भी लगता है?

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़ी मुख्यालय से उमरेह बाइपास होते हुए मन्दिर तक जाने के लिये कोई सुगम मार्ग नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़ी मुख्यालय से उमरेह बाइपास होते हुये मन्दिर तक जाने के लिये पक्की सड़क बनवाये जाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्तमान में बाड़ी मुख्यालय से मन्दिर तक जाने के लिये उमरेह गांव के अन्दर होते हुए पक्की डामर सड़क स्थित है। उमरेह गांव में बाइपास का निर्माण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

फुलेरा में सड़कों के लम्बित प्रस्ताव

4. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विभाग द्वारा जनवरी, 2014 से अब तक किन-किन सड़कों के प्रस्ताव कब-कब, कितनी-कितनी राशि के सरकार को भेजे गये और उनमें से किन-किन कार्यों की सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य वर्तमान में किन कारण से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किन-किन सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2014 से अब तक भेजे गये सड़कों के प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है एवं स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण व अपूर्ण का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के सड़कों के प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर से मालपुरा निगम की बन्द बसों का पुनः संचालन

5. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैयालाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा जयपुर से मालपुरा वाया दूदू मार्ग पर पिछले तीन-चार माह से वैशाली नगर आगार की सभी बसों को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो मार्ग पर उक्त आगार की बसों को पुनः संचालित कब तक कर दिया जाएगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के टोडारायसिंह उपखण्ड से कोटा, ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर व दिल्ली को परिवहन बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में जयपुर-मालपुरा वाया दूदू सेवा का संचालन पूर्व में मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द किया गया था। दिनांक 01.10.2017 से मालपुरा-दूदू के बीच में निगम बस सेवा का संचालन परिशिष्ट "1" में वर्णितानुसार किया जा रहा है।

पर्याप्त यात्रीभार न होने के कारण जयपुर-मालपुरा वाया दूदू सीधी बस सेवा का संचालन फिलहाल प्रस्तावित नहीं है।

(2) टोंक से अजमेर वाया टोडारायसिंह, केकड़ी निम्नानुसार निगम बस सेवा संचालित है:-

क्र.सं.	मार्ग	प्रस्थान समय
1	टोंक-अजमेर वाया टोडारायसिंह, केकडी	06.30
2	अजमेर-टोंक वाया केकडी, टोडारायसिंह	14.30

प्रश्नगत शेष स्थानों को निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल सीधी परिवहन बस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले को ईसरदा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

6. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले को ईसरदा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो कब से व उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जाना है और वर्तमान में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना से किन-किन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्पूर्ण दौसा जिले की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अंतर्गत (1) ईसरदा बाँध का निर्माण एवं (2) दौसा जिले के समस्त 5 शहर क्रमश: दौसा, बांदीकुई, बसवा, महुवा एवं लालसोट तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार समस्त 1079 ग्रामों में आधारभूत संरचनाओं एवं कलस्टर वितरण प्रणाली संबंधित कार्य कराये जाने की योजना प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है:-

1. सम्पूर्ण दौसा जिले की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अंतर्गत ईसरदा बांध के निर्माण का निर्णय लिया जाकर इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को राशि रुपये 530.00 करोड़ की जारी की गयी थी। ईसरदा बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग के माध्यम से डिपोजिट कार्य के अंतर्गत कराया जाना है। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु वर्ष 2013 में स्वीकृति उपरान्त नये भूमि अवाप्ति एक्ट-2013 के लागू होने, बी.एस.आर. 2012 के स्थान पर बी.एस.आर. 2014 के अनुसार दरें लिये जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ जाने के कारण बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1856.00 करोड़ होना अवगत कराया गया। इस परियोजना को चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रथम चरण की योजना की संशोधित प्रशासनिक

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 199वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 द्वारा राशि रुपये 1038.65 करोड़ की जारी की गयी है।

उक्त परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति विभाग के पत्र दिनांक 21.07.2017 द्वारा जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है।

इस परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 50.5 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। जल संसाधन द्वारा बांध के निर्माण हेतु राशि की मांग करने पर आवश्यक राशि हस्तान्तरित की जाएगी।

2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.एस.सी.) की बैठक संख्या 8 दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा ईसरदा बांध से दौसा जिले के समस्त शहर/कस्बे एवं ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं विस्तृत व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रुपये 162.75 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु बांध निर्माण एवं भण्डारण क्षमता की गणना संबंधी संभाव्यता रिपोर्ट, बांध से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु विकसित किये जाने वाले पेयजल तंत्र की संभाव्यता एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के प्रपत्र बनाने का कार्य मैसर्स वेपकोस लिमिटेड, गुड़गांव (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है तथा यह कार्य दिनांक 31.12.2017 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

(2) ईसरदा बांध के निर्माण के कार्य हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 199वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 द्वारा राशि रुपये 1038.65 करोड़ की जारी की गयी है तथा इसका निर्माण कार्य भौतिक रूप से अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(3) ईसरदा बांध से प्रस्तावित पेयजल परियोजना में दौसा जिले की 5

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

तहसील क्रमश: लालसोट, बसवा, महुवा, दौसा एवं सिकराय के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 302, 229, 161, 248 एवं 139, इस प्रकार कुल 1079 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

7. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्य कर रही है? यदि हां, तो क्या हनुमानगढ़ जिले में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है? यदि नहीं, तो उक्त जिले में कब तक शुद्ध पयेजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के चक 3 डीडब्ल्यूएम में पेयजल की सप्लाई चक 8 एनडब्ल्यूडी से होती है? यदि हां, तो क्या सरकार 8 एनडब्ल्यूडी के वाटर वर्क्स का विस्तार करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा की ग्राम पंचायत दुलपाना में नहर से वाटर वर्क्स तक की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को कब तक बदल दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला हनुमानगढ़ में पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित 6 शहरों में पेयजल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में कुल 2043 हैबिटेशन्स हैं जिनमें से 1380 हैबिटेशन्स पूर्ण रूप से एवं 658 हैबिटेशन्स आंशिक रूप से लाभान्वित हैं तथा शेष 5 लाभान्वित हैबिटेशन्स गुणवत्ता प्रभावित हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

आई.एम.आई.एस. के अनुसार जिला हनुमानगढ़ की पंचायत समिति, हनुमानगढ़ के भू-जल आधारित योजनाओं से लाभान्वित 5 ग्रामों में से 1 ग्राम फ्लोराइड, 3 ग्राम सैलिनिटी तथा शेष 1 ग्राम फ्लोराइड एवं सेलीनिटी के आधिक्य से प्रभावित है। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित इन 5 ग्रामों हेतु फिजिबिलिटी एवं तकनीकी उपादेयता के अनुरूप प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, पीलीबंगा की क्षेत्रीय जल योजना 8 एन.डब्ल्यू.डी.-3 डी.डब्ल्यू.एम. से ग्राम 3 डी.डब्ल्यू.एम. सहित कुल 5 ग्रामों में 38 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

उक्त क्षेत्रीय जल योजना के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं रिप्लेसमेंट कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 06.10.2017 को राशि रुपये 106.30 लाख की जारी की गयी है। योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, पीलीबंगा की ग्राम पंचायत, दुलमाना में कुल सम्मिलित 8 ग्रामों में से ग्राम दुलमाना सहित कुल 5 ग्रामों की क्षेत्रीय जल योजना, 7 पी.बी.एन. (दुलमाना) में नहर से ग्राम दुलमाना स्थित हैडवर्क्स में रॉ-वाटर 270 मीटर लम्बी इनलेट चैनल के माध्यम से लिया जा रहा है। यह इनलेट चैनल वर्तमान में क्षतिग्रस्त नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में थ्री-फेज नलकूप स्थापित करने की योजना

8. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्तमान में कौन-कौनसे ग्रामों में थ्री फेज नलकूप की योजना के बिना पेयजल सप्लाई किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसे ग्राम की थ्री फेज नलकूप

(डा. फूल चन्द भिण्डा)

पेयजल योजना सरकार के पास विचाराधीन है? उक्त योजनाओं को अब कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4000 की आबादी वाले किन-किन गांवों में उच्च जलाशय की योजना विचाराधीन है तथा उक्त योजना को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में सुलभ जल व्यवस्था के लिए थ्री फेज तथा जी.एल.आर. स्वीकृत करने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, विराटनगर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 148 आबाद ग्रामों में से 24 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 8 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 41 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 71 ग्राम हैण्डपम्प जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

इस प्रकार हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित 71 ग्रामों में स्थापित हैण्डपम्पों एवं सिंगल फेज नलकूपों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इन ग्रामों की सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, विराटनगर में हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित किसी भी ग्राम की थ्री-फेज नलकूप आधारित योजना में विभागीय नीति अनुरूप स्वरूप परिवर्तन का कोई भी प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, विराटनगर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 4000 से अधिक की जनसंख्या वाले कुल 16 ग्रामों में से पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित 15 ग्रामों में उच्च जलाशयों से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है। पंचायत समिति, शाहपुरा के एक ग्राम नाथावाला (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या - 4053) की पम्प एवं टैंक जल योजना का संचालन एवं संधारण स्वजलधारा योजना अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त क्षेत्र, की उच्च जलाशय आधारित किसी भी ग्राम की जल योजना के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) विभागीय नीति अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में हैण्डपम्प, 1500 से 4000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में पम्प एवं टैंक तथा 4000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में पाइप्ड जल योजना लागू किये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश के जनजाति उप आयोजना क्षेत्र (टीएसपी) एवं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत आने वाले उन ग्रामों में जिनकी वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 3000 से अधिक है, ऐसे ग्रामों में पाइप्ड जल योजना अंतर्गत जल सम्बन्धों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय विभागीय नीति निर्धारण समिति की 197वीं बैठक दिनांक 25.04.2016 में लिया गया है।

विभागीय नीति निर्धारण समिति की 196वीं बैठक दिनांक 20.10.2015 में राज्य के ऐसे ग्राम जिनकी वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 1500 से अधिक व 4000 तक है, को अन्य जल योजना से पाइप्ड जल योजना में परिवर्तित निम्न शर्तों के अधीन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(अ) बनाई गई योजना की 50 प्रतिशत राशि सांसद/विधायक कोष से अथवा जन सहभागिता के अंतर्गत दिये जाने पर सहमति हो।

(ब) योजना का संचालन व संधारण तथा विद्युत बिल का भुगतान जनता जल योजना पैटर्न पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाए एवं

(स) प्रस्तावित पाइप्ड जल योजना में स्थानीय भू-जल स्रोत का प्रावधान लिया जाए। ये नॉर्म्स सतही जल स्रोत आधारित वृहद् पेयजल परियोजनाओं अथवा योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों के लिये लागू नहीं हैं।

समय-समय पर विभाग द्वारा जारी नीतियों की अनुपालना में भू-जल की उपलब्धता, तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति चरणबद्ध रूप से जारी की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर में इन्दिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध कराने की योजना

9. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर का पानी विधान सभा क्षेत्र परबतसर में उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत समय पर कार्य नहीं करने पर ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर से पानी की आपूर्ति का ठेका किन शर्तों पर दिया गया? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, परबतसर के परबतसर शहर एवं वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 145 ग्रामों सहित नागौर जिले के 7 शहर एवं 986 आबाद ग्रामों की पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान के तहत सतही जल स्रोत इंदिरा गांधी नहर से नागौर लिफ्ट कैनाल की द्वितीय चरण की परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.08.2012 को राशि रुपये 2938.00 करोड़ की जारी हुई थी।

क्षेत्र के उक्त 145 ग्रामों में से उक्त स्वीकृत परियोजना के पैकेज-04 (परबतसर क्लस्टर सी.डी.एस.-01) में परबतसर शहर एवं विधान सभा क्षेत्र, परबतसर के 110 ग्राम सम्मिलित हैं। इस क्लस्टर के कार्यों के निष्पादन हेतु अनुबंधक फर्म को दिनांक 25.09.2017 को सहमति पत्र जारी किया जा चुका है तथा अनुबंध 28 दिवस की अवधि में सम्पादित किया जाना है। अनुबंध सम्पादित होने के उपरान्त निविदा की शर्तों के अनुरूप इस पैकेज का कार्य आगामी 33 माह की अवधि में पूर्ण किया जाकर परबतसर शहर एवं 110 ग्रामों को लाभान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

पैकेज संख्या-09 (कुचामन क्लस्टर सी.डी.एस.-06) हेतु राशि रुपये 135.56 करोड़ के जारी कार्यादेश में उक्त क्षेत्र के 35 ग्राम (दूदू-बीसलपुर परियोजना से वर्ष 2015 में क्षेत्र के लाभान्वित 17 ग्रामों को इस पैकेज के तहत राजस्थान नहर पर स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है) सम्मिलित हैं

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

तथा इस क्लस्टर का कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

द्वितीय चरण की स्वीकृत उक्त परियोजना के तीन पैकेजों क्रमश: 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं के कार्यों यथा जलशोधन संयंत्र, पम्पिंग स्टेशन एवं मुख्य पाइप लाइनों (टी.एम..-1, 02 एवं 03) के कार्यादेशित एवं प्रगतिरत कार्यों के माह मार्च, 2018 में पूर्ण होने के उपरांत ही कुचामन क्लस्टर सी.डी.एस.-06 के ग्रामों को राजस्थान नहर से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना अपेक्षित है।

(2) क्षेत्र परबतसर के पैकेज-04 (क्लस्टर सी.डी.एस.-01) के कार्यों के निष्पादन हेतु अनुबंधक फर्म को दिनांक 25.09.2017 को सहमति पत्र जारी किया जा चुका है तथा अनुबंध 28 दिवस की अवधि में सम्पादित किया जाना है। अनुबंध होने के उपरान्त निविदा की शर्तों के अनुरूप इस पैकेज का कार्य आगामी 33 माह की अवधि में पूर्ण किया जाकर परबतसर शहर एवं 110 ग्रामों को लाभान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। बाह्य वित्त पोषण एजेन्सी, जायका द्वारा अनुमोदित निविदा प्रपत्र के अनुसार 33 माह की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में कुल अनुबंध राशि की 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने का प्रावधान है।

इसी प्रकार पैकेज संख्या-09 (कुचामन क्लस्टर सी.डी.एस.-06) के कार्यों की धीमी गति रखने के कारण विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधक फर्म से रुपये 6.54 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि रोक ली गई है।

(3) नागौर लिफ्ट वृहद् पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण की उक्त पेयजल परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र परबतसर के पैकेज-04 (क्लस्टर सी.डी.एस.-01) के कार्यों के निष्पादन अनुबंधक फर्म को दिनांक 25.09.2017 को सहमति पत्र जारी किया जाकर अनुबंध 28 दिवस की अवधि में निष्पादित किया जाना है तथा यह अनुबंध अभी निष्पादित होना शेष है।

पैकेज संख्या-09 (कुचामन क्लस्टर सी.डी.एस.-06) हेतु अनुबंधक फर्म से निष्पादित किये गये अनुबंध की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी शहर में भू-जल स्तर बढ़ने के निदान की कार्ययोजना

10. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फलौदी शहर में भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा फलौदी शहर में भू-जल स्तर बढ़ने के कारण खोजने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी? उक्त कार्य पर हुए व्यय और कार्यवाही के परिणामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समस्या से फलौदी शहरी क्षेत्र में कितनी सम्पत्ति को नुकसान हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समस्या के निदान हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है व उक्त समस्या का समाधान कब तक कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। फलौदी शहर में भूजल स्तर बढने की समस्या है, परन्तु यह समस्या केवल फलौदी शहर के नीचे के क्षेत्र (Low laying area) में है, जैसे भैया नदी, रघुनाथपुरा, मदु जी की बेरी उम्मेदपुरा, हनुमान चौक, मालियों का बास किले के आसपास का क्षेत्र, लटियालपुर इत्यादि। यह समस्या लगभग पिछले 8-10 वर्षों से है।

(2) फलौदी शहर में विभाग द्वारा भूजल स्तर बढ़ने के कारण खोजने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया है अपितु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह भाग डूब क्षेत्र (Low laying area) में स्थित है तथा इस क्षेत्र से सीवरेज के पानी की निकासी सही प्रकार से नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न हुई है। फलौदी शहर का वास्तविक भू जल स्तर 120.75 मीटर गहरा है। (Post Monsoon 2017)

(3) इस बिन्दु का उत्तर विभाग से अपेक्षित नहीं है।

(4) जी नहीं। उक्त समस्या के समाधान हेतु विभाग के स्तर पर कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कार्ययोजना

11. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त योजना कब प्रारम्भ हुई व इसके तहत कितनी लागत से किन-किन नदियों को जोडा़ जाएगा तथा इसकी लागत किसके द्वारा वहन की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में नदियों को जोडने का कार्य कब प्रारम्भ होगा? इससे प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे व कितनी भूमि सिंचित होगी तथा कितने लोगों को पेयजल मिलेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग द्वारा विश्व के अन्य देशों में इस प्रकार नदी जोडने के कार्यों का अध्ययन किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

(4) क्या यह सही है कि विभिन्न नदियों को जोड़ने से जलीय जीवों और वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नदियों को जोड़ने की योजना अन्तर्गत अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नदियों को जोड़ने हेतु प्रस्तावित योजनाओं की वर्तमान स्थिति आदि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जल संसाधन विभाग के स्तर पर विश्व में अब तक नदियों का जोड़ने हेतु किये कार्य संबंधित सूचना संधारित नही है।

(4) नदियों को जोड़ने से संबंधित योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टस में सम्मलित "जलीय जीवों और वनस्पतियों पर ईकोलोजीकल इम्पैक्ट अध्ययन" अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदामों का निर्माण

12. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम एवं कार्यालय भवन नहीं हैं? क्या सरकार उक्त का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनेक ग्राम सेवा सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनके गोदाम एवं कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जी.एस.एस. के शेष गोदामों का निर्माण शीघ्र करवाने तथा क्षतिग्रस्त गोदामों एवं कार्यालयों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कॉ-आपरेटिव बैंक द्वारा किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये गये हैं? यदि हां, तो कितने किसानों के समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2016 व 2017 में कितने नये सदस्य बनाये गये व नये सदस्यों में से कितने सदस्यों को ब्याज रहित कितनी-कितनी ऋण राशि प्रदान की गयी है? समितिवार नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र मावली में वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 के 30 सितम्बर तक किस-किस किसान को कितने-कितने रुपये का ऋण वितरण किया गया एवं अब तक कितनी वसूली की गयी है? समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में कुल 21 समितियों में से एक मादड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मादड़ी पंचायत समिति मावली में पूर्व में गोदाम एवं कार्यालय भवन नहीं था परन्तु वर्तमान में उक्त समिति में समग्र सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माणाधीन है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली की कमश: जेवाणा, विजनवास, मादड़ी, कैलाशपुरी, देबारी एवं साकरोदा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम क्षतिग्रस्त हैं। उक्त समितियों के क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मत बजट प्राप्त होने पर की जा सकेगी।

(3) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली में कॉ-आपरेटिव बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लैम्पस के माध्यम से 5828 किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये गये है। समितिवार किसान क्रेडिट का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र मावली में वर्ष 2016 व 2017 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लैम्पस द्ववारा 201 नये सदस्य बनाये गये, बनाये गये नये सदस्यों में से 33 सदस्यों को 976600/- को ब्याज रहित ऋण वितरण किया गया। नये बनाये गये सदस्यों का समितिवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) विधान सभा क्षेत्र मावली में वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में 30 सितम्बर तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लैम्पस द्वारा वितरित किये गये ऋण एवं वसूली का समितिवार विवरण एवं समितिवार नाम व पते की सूची परिशिष्ट स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर उपभोक्ता होलसेल भण्डार में स्थाई अधिकारियों का पदस्थापन

13. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर उपभोक्ता सहकारी होलसेल भण्डार में प्रशासक, महाप्रबंधक, प्रबंधक सहित प्रमुख पदों का कार्य कार्यवाहक अधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस से, कब-कबसे व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रमुख पदों पर स्थाई अधिकारियों को पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री बाबू सिंह)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के स्वीकृत 34 पदों में से 26 पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार में प्रशासक के पद पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) सहकारी समितियां जोधपुर को आदेश क्रमांक फा. 15(6)सविरा/नियम/भण्डार प्रशासक/86-पी-3 दिनांक 27.04.17 के द्वारा लगाया गया है। जो कार्यवाहक व्यवस्था नहीं है।

महाप्रबन्धक पद पर श्री रामसुख जनरल मैनेजर क्रय विक्रय सहकारी समिति जोधपुर को अतिरिक्त कार्यभार दिलाया गया है। आदेश क्रमांक फा.17(452)सविरा/निशा/ब-1/89 दिनांक 27.4.17 से प्रबन्धक पद पर श्री हेमेन्द्र सिंह आशिया निरीक्षक कार्यकारी कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर को अतिरिक्त कार्यभार आदेश क्रमांक फा.2(1)सविरा/निशा/ब-2/2016 स्थानान्तरण दिनांक 28.8.17 से लगाया गया है। उक्त व्यवस्था स्थानान्तरण पर रोक होने के कारण की गयी है।

(2) जी हां। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के स्वीकृत 34 पदों में से 26 नहीं वरन् 27 पद रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है। व्यवस्थापक सेवा नियम 2008 के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की गयी है।

(4) ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों की भर्ती हेतु राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 (यथा संशोधित 2016) की नई धारा 29(ख) के अनुसार राज्य की सहकारी समितियों के कर्मचारियों का चयन और भर्ती सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ करने की कार्ययोजना

14. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के किसान लम्बे समय से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों का कर्जा माफ करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक एवं कौन-कौनसे कर्ज? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2014 से 30 सितम्बर, 2017 तक के किसानों के बकाया कर्जे माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा किसानों का कर्जा माफ करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी रिपोर्ट आने के पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(2) इसका उत्तर प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

प्रदेश के संप्रेषण गृहों से बच्चों के भागने की घटनाओं पर रोक की कार्ययोजना

15. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 3 वर्षों में संप्रेषण गृह से बच्चों के भागने की कितनी घटनाएं घटित हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत संचालित सम्प्रेक्षण गृहो (40) में से पिछ्ले 3 सालो में 253 बच्चों ने पलायन किया। गृहवार पलायन किये गये बच्चो का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) सरकार द्वारा बालको के पलायन की घटनाओं में दोषी पाये कर्मचारी अधिकांश निजी एजेन्सी द्वारा संविदा पर रखे गये सुरक्षा गार्ड हैं, जिनकी सेवाए समाप्त कर दी गयी हैं। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह डूंगरपुर में नियुक्त अधीक्षक श्री मणीलाल मीणा एवं लिपिक ग्रेड द्वितीय श्री चन्दूलाल कटारा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह सेठी कालोनी जयपुर में दोषी पाये गये केयर टेकर को आदेशो की प्रतीक्षा में निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को कार्यमुक्त कर दिया गया था। पूर्व में कार्यरत अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं किशोर गृह जयपुर के स्थान पर श्री मनोज कुमार गहलोत की दिसम्बर, 2016 से कार्य व्यवस्था की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली के सावित्री बाई बालिका छात्रावास में अनियमितताओं की जांच

16. श्री सुखराम विश्नाई (सांचौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने आवासीय छात्रावास संचालित हैं? उक्त छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के आवासीय छात्रावासों में रह रहे प्रति छात्र पर सरकार कितनी राशि व्यय करती है? वर्ष 2017-18 का प्रतिमाह व्यय का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पाली में सरदार पटेल नगर में स्थित सावित्री बाई बालिका छात्रावास में छात्राओं को राशन सही नहीं मिलने व राशन में ईल्लियां होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में सरकार को उक्त छात्रावासों के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में खाद्य सामग्री एवं अन्य अनियमितताओं संबंधी कुल कितनी शिकायतें

(श्री सुखराम विश्नोई)

प्राप्त हुईं व प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 798 आवासीय छात्रावास स्वीकृत/संचालित है, जिनमें छात्र छात्राओं की संख्या 34555 हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट- अ पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में आवासरत छात्र छात्राओं की सुविधाओ हेतु 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह व्यय किया जाता है। वर्ष 2017-18 का प्रति माह व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां, पाली में सरदार पटेल नगर में सावित्री बाई फुले छात्रावास पाली में छात्राओं को राशन सही नही मिलने व राशन में इल्लिया होने का प्रकरण राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद विभाग के ध्यान में आया है कि जिला कलक्टर पाली द्वारा की गयी अभिशंसा के आधार पर संबन्धित छात्रावास अधीक्षिका को आदेशो की प्रतीक्षा में रखा गया। तदुपरान्त छात्रावास अधीक्षिका को चूरू जिलें में पदस्थापन कर दिया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट- स पर उपलब्ध है।

(4) प्रदेश में गत तीन वर्षों में खाद्य साम्रगी एवं अन्य अनियमितताओं संबधी कुल 09 शिकायत प्राप्त हुई हैं। जिन पर नियम संगत कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण परिशिष्ट- द पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

17. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरपालिका क्षेत्रों में "सामुदायिक शौचालयों" का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो हनुमानगढ़ जिले में इस हेतु गत तीन वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई? नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्रवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संजीव कुमार)

(2) उक्त जिले में अब तक कितने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में सामुदायिक शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को अनेक जगह से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित शौचालयों की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में विगत तीन वर्षों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्यों हेतु आवंटित राशि का निकायवार विवरण परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) हनुमानगढ़ जिले की नगरीय निकाय क्षेत्र के "सामुदायिक शौचालयों" का विवरण परिशिष्ट- अ में अंकित है।

(3) हनुमानगढ़ जिले में सभी नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की स्वीकृति जारी कर संबंधित निकाय को स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों अनुरूप प्रति सीट के आधार पर राशि रुपये 39200/- भारत सरकार एवं राज्यांश रुपये 13067 के अनुसार कुल रुपये 52267/- प्रति सीट जारी कर दी है। शेष राशि नगर निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की गांधी कॉलोनी में क्राउन ग्रांट एक्ट के तहत भू-खण्डों का आवंटन

18. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर स्थित गांधी कालोनी, गेटोर रोड, ब्रहमपुरी में क्राउन ग्रांट एक्ट के तहत भूखण्ड आवंटित किये गये थे? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में कतिपय भूखण्डधारियों को क्राउन ग्रांट एक्ट के तहत आवंटन पत्र/विक्रय-पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब व कितने भूखण्डधारियों को?

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(3) क्या सरकार शेष भूखण्डधारियों को क्राउन ग्रांट एक्ट के तहत आवंटन-पत्र/विक्रय-पत्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर स्थित गांधी कालोनी, गेटोर रोड ब्रह्मपुरी में क्राउन ग्रान्ट एक्ट के तहत भूखण्ड आवंटित नहीं किये गये हैं। कच्ची बस्ती के तहत भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर नगर निगम द्वारा सील किये गये आवासीय व व्यावसायिक भवन

19. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जयपुर शहर में निर्माणाधीन आवासीय, व्यावसायिक एवं सांस्थानिक भवनों को सील किए जाने के संबंध में कोई दिशा- निर्देश जारी किए गये हैं? यदि हां, तो इस संबंध में जयपुर नगर निगम को दिए गए दिशानिर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगर निगम जयपुर द्वारा गत तीन वर्षों में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों को सील किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के अंतर्गत? सील किए गये व्यावसायिक/आवासीय भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर निगम जयपुर के हवामहल जोन पश्चिम में गत तीन वर्षों में कितने आवासीय नक्शे पारित करवाकर व्यावसायिक काम्प्लैक्सों का निर्माण कर लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नक्शे पारित करते समय निगम द्वारा भवन मालिक से पारित नक्शे के अनुसार ही निर्माण किए जाने का हलफनामा लिया जाता है? यदि हां, तो हलफनामे के विपरीत निर्माण करने पर भवन मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(5) क्या यह भी सही है कि निर्माण पारित नक्शे के अनुसार ही हो रहा है, इसकी जांच समय-समय पर निगम के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जाती है? यदि हां, तो पारित नक्शे के विपरीत निर्माण होने पर निगम के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) गत तीन वर्षों में हवामहल पश्चिम जोन द्वारा कितने आवासीय/व्यावसायिक भवनों में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त जोन में जिन व्यावसायिक निर्माणों में तोड़फोड़ की गयी उनमें पुन: व्यावसायिक भवनों का निर्माण कर लिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? ऐसे कितने व्यावसायिक भवन हैं, जिनमें तोड़फोड़ की कार्यवाही की गयी और वहां पुन: निर्माण कर लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में निर्माणाधीन आवासीय, व्यावसायिक एवं सांस्थानिक भवनों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (7) एफ के तहत सील की कार्यवाही की जाती है। नियम एवं परिपत्र का विवरण परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (7) एफ के तहत सील किया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(3) नगर निगम जयपुर के हवामहल जोन (पश्चिम) क्षेत्राधिकार में विगत तीन वर्षों में आवासीय स्वीकृति प्राप्त कर कोई व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण नहीं हुआ है।

(4) जी हां। हलफनामे के विपरीत निर्माण करने पर भवन मालिका को समय-समय पर नोटिस दिया जाकर नियमानुसार चालान हेतु विधि शाखा को भिजवाया जाता है तथा नियमानुसार पुन: भवन को सील करने की कार्यवाही की जाती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(5) जी हां। पारित नक्शों के विपरीत निर्माण कार्य होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में नगर निगम, जयपुर के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(6) नगर निगम, जयपुर के हवामहल जोन (पश्चिम) के द्वारा विगत तीन वर्षों में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों में की गयी तोड़फोड़ का विवरण परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

(7) नगर निगम, जयपुर के हवामहल जोन (पश्चिम) में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर नगर परिषद् में सफाई के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण

20. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद सीकर की सीमा कितने वार्डों में विभाजित की गयी है तथा उक्त वार्डों में किन- किन अधिकारियों की सफाई निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वार्ड नंबर 45 एवं 46 में सफाई से संबंधित कोई शिकायत माह जून, 2017 से सितम्बर, 2017 के मध्य प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि तथा शिकायतों के निदान के लिए क्या कार्यवाही की गयी व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आयुक्त द्वारा नगर परिषद सीकर में सफाई के लिए क्या-क्या प्रबंध किए गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सीकर नगर परिषद क्षेत्र में सफाई के लिए कोई बैठक आयोजित की गयी है? यदि हां, तो कब? उक्त बैठक की कार्यवाही के विवरण सहित सफाई निरीक्षकों को क्या-क्या निर्देश दिए गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(5) सीकर नगर परिषद में वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी हैं? नाम, पद एवं कार्यक्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) आयुक्त नगर परिषद सीकर के पास माह सितम्बर, 2017 में सफाई के लिए सम्पर्क पोर्टल से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद सीकर की सीमा को 50 वार्डों में विभाजित किया गया है। इन वार्डों में निम्न सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है:-

1. श्री लक्ष्मण लदड - गैंग प्रभारी, सफाई निरीक्षक के साथ-साथ मुख्य सफाई निरीक्षक का अतिरिक्त कार्य।
2. श्री शिवप्रसाद - मध्य जोन, वार्ड नं. 16 व 29 से 35
3. श्री नोरंग सिंह (संविदा कर्मी) - उत्तर जोन, वार्ड संख्या 42 से 50
4. श्री संजीव कुमार जमादार - दक्षिण जोन, वार्ड संख्या 17 से 24
5. श्री रतनलाल, पूर्व जोन, वार्ड संख्या 25 से 28, 36 से 41 व वार्ड संख्या 34 का आंशिक भाग।
6. श्री सत्यनारायण, पश्चिम जोन, वार्ड संख्या 1 से 15

(2) वार्ड नं. 45 एवं 46 में सफाई से संबंधित माह जून 2017 से सितम्बर 2017 तक कुल 03 शिकायत प्राप्त हुई है। सभी शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। शिकायत दर्ज कार्यवाही रजिस्टर का विवरण परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(3) नगर परिषद सीकर की सीमा क्षेत्र में सफाई कार्य के लिये परिषद द्वारा निम्न साधनों का उपयोग किया जाता है:-

1. जेसीबी मशीन - 4
2. लोडर - 2
3. टीपर - 4
4. ऑटो टीपर - 49
5. किराये के ट्रेक्टर - 22

(स्वायत्त शासन मंत्री)

इसके अलावा ठेकेदार के माध्यम से 100 कर्मचारी रखें गए है। जिनकों ऑटो टीपरों पर कचरा परिवहन एवं सफाई के कार्य में लगाया हुआ है।

(4) जी नहीं।

(5) सीकर नगर परिषद में वर्तमान में कुल 273 सफाई कर्मचारी है। जिनका विवरण परिशिष्ट- ब पर संलग्न है। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी प्रात: 6 बजे से 10 बजे तक शहर की मुख्य सडकों एवं बाजारों में बीट बनाकर सफाई कार्य करवाया जाता है तथा दोपहर पश्चात 2 बजे से 6 बजे तक वार्ड वाईज कार्यक्रम बनाकर सामूहिक रूप से वार्डो में सफाई का कार्य करवाया जाता है।

(6) कुल 23 शिकायत माह सितम्बर 2017 तक प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। शिकायत दर्ज कार्यवाही मय निस्तारण कार्यवाही रजिस्टर का विवरण परिशिष्ट- स में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना में रिक्त भू-खण्ड

21. श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन-7 में स्थित विधानसभा सचिवालय समूह आवास योजना मुख्य एवं विस्तार, धावास में कुल कितने भूखण्ड़ों का सृजन किया गया है? उनमें से कितने भूखण्ड किन-किन को आवंटित किए गये हैं एवं कितने भूखण्ड रिक्त हैं? रिक्त भूखण्ड़ों की नाप एवं भूखण्ड संख्या मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के लिए ग्राम धावास एवं इसके लगते हुए क्षेत्र की भूमि भी अवाप्त की गयी थी? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों की? काश्तकारों के नाम एवं भूमि के खसरे एवं रकबे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिस योजना के लिए भूमि अवाप्त की जाती है उस भूमि का उपयोग उसी योजना में किया जा सकता है? यदि हां,

(श्री मान सिंह)

तो जे.डी.ए. द्वारा उक्त योजना में सृजित भूखण्ड़ों को किस नियम के तहत नीलाम किए जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के कुछ भूखण्ड़, खसरा बाउंड्री पर होने के कारण विवादास्पद हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने भूखण्ड़ों के प्राधिकरण द्वारा पट्टे जारी नहीं किए गये हैं? भूखण्ड़ संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोन-7 में स्थित विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना मुख्य में 225 एवं विस्तार धावास में री-प्लानिंग करने पर 215 भूखण्डों का सृजन किया गया। जिसमें मुख्य आवासीय योजना में 215 भूखण्डों का आवंटन किया गया जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं शेष 10 भूखण्डों को आरक्षित रखा गया है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विस्तार योजना में 190 भूखण्डों एवं 86 व्यावसायिक भूखण्डों का सृजन किया गया था, जिसमें से आवासीय आवंटन 164 एवं व्यावसायिक 86 भूखण्डों का किया गया। इस बीच योजना की रिप्लानिंग करने पर आवासीय भूखण्डों की संख्या 190 से बढ़कर 215 हो गयी एवं व्यावसायिक भूखण्डों की संख्या 86 से बढ़कर 133 हो गयी।

इस प्रकार आवासीय भूखण्डों की कुल संख्या 215 एवं व्यावसायिक भूखण्डों की संख्या 133 होने पर योजना में कुल भूखण्डों की संख्या 348 (आवासीय + व्यावसायिक) है। योजना में आवंटन से शेष रहे आवासीय भूखण्डों की संख्या 51 है जो क्रमश: एस-23, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40 से 48, 50, 51, 53 से 62, 66, 67, 76, 77, 83, 84, 88, 89, 125, 126, 127, 128, 141, 151, 166 एवं शेष व्यावसायिक भूखण्डों की संख्या कुल संख्या 75 है, जो क्रमश: 1, 5, 16, 17, 31 से 45, 47 से 65, 78, 79, 91, 92, 96, 100, 101, 104 से 133 हैं। आवासीय 164 एवं व्यावसायिक 58 आवंटन कुल 222 आवंटनों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। मुख्य योजना मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-4 पर एवं विस्तार योजना की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। भूखण्डों की माप संलग्न मानचित्र में दर्शित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि विधान सभा सचिवालय समूह आवासीय योजना हेतु ग्राम धावास में भूमि अवाप्त की गयी थी। अवाप्त किये गये काश्तकारों के नाम, भूमि के खसरे एवं रकबा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	रकबा	ख.नं.
1.	मांग्या पुत्र काना 1/18 रमेश चन्द पुत्र बसन्त कुमार 1/9 रामू पुत्र काना 1/12, श्रीमती छोटी पत्नी रामू 1/12 कुल हि.1/3	7-19 बीघा	118
2.	लक्ष्मण सिंह पुत्र फतेह सिंह 40/477	2-00 बीघा	
3.	विधासागर पुत्र रामचन्द्र 20/477	1-00 बीघा	
4.	पांचु पुत्र बल्ला 99/477	4-19 बीघा	
5.	भौरिया पुत्र लक्ष्छा 1/6	3-19.5 बीघा	
6.	जगदीश पुत्र भौरिया 1/30	15-9/10 बिस्वा	
7.	सुमनलता बांगड 4/30	3 बीघा 3-3/5 बिस्वा	
	कुल- भूमि	**23-17 बीघा लगभग**	

पारित अवार्ड के मुताबिक हितबद्धधारी/काश्तकारों को मुआवजे के रूप में विकसित भूमि/भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।

(3) जी हां। यह सही है कि भूमि की अवाप्ति जिस योजना के लिए की जाती है, भूमि का उपयोग उसी योजना के लिए किया जाता है। उक्त योजना में भूखण्डों की नीलामी नहीं की गयी है एवं ना ही प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। उक्त योजना से संबंधित सन्धारित रिकॉर्ड अनुसार खसरा बाउण्ड्री पर सृजित भूखण्डों पर कोई विवाद विचाराधीन नहीं है। खसरा बाउण्ड्री पर सृजित भूखण्डों के आवंटन/पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नृसिंह द्वारा मीठाराम जी देह उदयपुर के स्वामित्व की भूमि का प्रकरण

22. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) क्या यह सही है कि देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है और उसके स्वामित्व की भूमि किसी के द्वारा किसी भी तरीके से अंतरित नहीं की जा सकती है?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री नृसिंह द्वारा मीठारामजी स्थान देह शहर उदयपुर ठिकाना गुलाबबाग के पास रावजी का हाटा, उदयपुर के स्वामित्व व आधिपत्य की गांव शोभागपुरा, तहसील-गिर्वा, जिला-उदयपुर में स्थित कुल किता 21 रकबा 3.5700 हैक्टेयर भूमि के बारे में एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय-उप जिला कलक्टर, गिर्वा में चला था जिसका प्रकरण संख्या 2/07 वाद है?

(3) क्या न्यायालय के निर्णय द्वारा देवमूर्ति को उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि से वंचित कर दिया गया?

(4) क्या संपूर्ण निर्णय व अन्य संबंधित दस्तावेजों की तथ्यों व तनकियों से यह प्रकरण वादी व प्रतिवादियों की मिलीभगत का परिणाम होने की आशंकाओं को जन्म नहीं देता है?

(5) क्या इस वाद में देवमूर्ति की ओर से पैरवी में विभाग की कोई भूमिका नहीं रही और उसके अभाव में विभाग की पैरवी नहीं होने से ऐसा निर्णय हुआ कि देवमूर्ति अपने स्वामित्व व आधिपत्य से वंचित हो गयी?

(6) क्या अब भी विभाग विधि विभाग के विधि विशेषज्ञों द्वारा निर्णय का अध्ययन कराकर न्यायिक प्रक्रिया के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नान्तर्गत भूमि पुनः देवमूर्ति के स्वामित्व व आधिपत्य में लाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी हां। यह सही है।

(3) इसमें न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा उदयपुर द्वारा प्रकरण सं. 2/07 में दिनांक 17.04.2007 को निर्णय पारित किया गया था जिसमें निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 मंगना पुत्र ओंकार जी डांगी के पक्ष में हुआ।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

प्रकरण में देवस्थान विभाग पक्षकार नहीं होने के कारण उसे न्यायालय के वाद व निर्णय की जानकारी नहीं थी।

न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा उदयपुर के निर्णय की राजस्थान राज्य जरिये भूधारी तहसीदार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के यहाॅ अपील हुई। इसमें उप जिला कलक्टर गिर्वा उदयपुर के दिनांक 17.4.2008 के निर्णय को अपास्त किया गया।

इस निर्णय की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गयी। इसमें राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को अपास्त कर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 5086/2008 में निर्णय दिनांक 22.07.2009 को पारित कर न्यायालय उप जिला कलेक्टर गिर्वा के प्रकरण संख्या 2/07 में दिनांक 17.04.2007 के निर्णय को यथावत रखा है।

इस निर्णय के विरुद्ध प्रकरण संख्या 12146/2017 एवं 12409/2017 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है।

वर्तमान में भूमि राजस्व अभिलेखों में गांव शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर में श्री नृसिंह द्वारा मीठारामजी स्थान देह शहर उदयपुर ठिकाना गुलाबबाग के पास रावजी का हाटा के नाम दर्ज है।

(4) प्रकरण न्यायिक प्रकृति का है जिसमें वादी व प्रतिवादियों की मिलीभगत होने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस निर्णय के विरुद्ध प्रकरण संख्या 12146/2017 एवं 12409/2017 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है।

(5) उक्त वाद बिना देवस्थान विभाग की सक्षम स्वीकृति के श्री नृसिंह द्वारा मीठारामजी स्थान देह शहर उदयपुर ठिकाना गुलाबबाग के पास रावजी का हाटा उदयपुर जरिये महंत श्री रामचंद्र दास द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा में लाया गया था जिसमें देवस्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

यह मंदिर राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी का है जिसमें संपदा की सुरक्षा का प्रमुख दायित्व महन्त का होता है।

देवस्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाये जाने से विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

वर्तमान में भूमि राजस्व अभिलेखों में गांव शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर में श्री नृसिंह द्वारा मीठारामजी स्थान देह शहर उदयपुर ठिकाना गुलाबबाग के पास रावजी का हाटा के नाम दर्ज है।

(6) प्रकरण संख्या 12146/2017 एवं 12409/2017 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है। प्रकरण में देवस्थान विभाग विभिन्न निर्णयों एवं तथ्यों का विधिक परीक्षण या अध्ययन कराकर उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

प्रश्न संख्या 23

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 24

(स्थगित)

खनन इकाइयों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर मलबा डालने पर कार्यवाही

25. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर व कोटड़ी तहसील में स्थित अनेक खनन इकाइयों द्वारा चारागाह एवं सार्वजनिक भूमियों पर खनन मलवा डाला जा रहा है व इस सम्बन्ध में स्थानीय वाशिन्दों एवं अनेक जनप्रतिनिधियों की ओर से शिकायतें प्राप्त हो रही है? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में स्थापित विभिन्न खनन इकाइयों द्वारा डम्पिंग यार्ड हेतु किस-किस ग्राम की कौन-कौन किस्म की भूमियों के संबंध में सरकार से अनुमति प्राप्त की गयी है? आराजी खसरा नं. सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चारागाह, नदी, नाले, पर्वत, रास्ता आदि सार्वजनिक महत्व की भूमियों में डम्पिंग यार्ड के लिए अनुमति जारी की जा सकती है? यदि हां, तो नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में जिन-जिन खनन इकाइयों ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में डम्पिंग यार्ड हेतु अनुमति प्राप्त कर रखी है, क्या सरकार उक्त प्रकरणों की

(श्री धीरज गुर्जर)

पुनर्समीक्षा कर अनुमति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भीलवाड़ा जिले की तहसील जहाजपुर व कोटड़ी के खनन पट्टाधारियों द्वारा वर्तमान में चारागाह एवं सार्वजनिक भूमियों पर खान का मलवा नहीं डाला जा रहा है। इस संबंध में गत तीन वर्षों में कुल 04 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण तथा विभागीय स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) खनन नियमों व संविदा की शर्त के अनुसार खनन पट्टाधारी स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोडकर अनुमत्त खनिजों का खनन करके पट्टा क्षेत्र में खनिज भण्डारण व खनन से उत्पादित सभी उत्पादों को रख सकता हैं। जिला भीलवाडा की तहसील जहाजपुर व कोटडी में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के बाहर किसी भी भूमि मे डम्पिंग यार्ड हेतु सरकार द्वारा अलग से अनुमति जारी नहीं की गयी हैं।

(3) जी नहीं। चारागाह, नदी, नाले, रास्ता आदि सार्वजनिक महत्व की भूमियों में डम्पिंग यार्ड हेतु अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु चारागाह भूमि में खनन व उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के उपयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है। स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र में स्थित पर्वत किस्म की भूमि में खनन गतिविधियों हेतु पृथक से अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं हैं।

(4) प्रदेश में प्रतिबंधित क्षेत्रों में डम्पिंग हेतु अनुमति देने का मामला अभी तक ध्यान में नहीं आया हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन

26. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 31 मई, 2016 द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसरण में भीलवाडा डिस्ट्रिक्ट मिनरल

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

फाउण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग कौन्सिल एवं मैनेजिंग कमेटी दोनों का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो दोनों की सदस्यता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 16 सितम्बर, 2017 को गवर्निंग कौन्सिल की बैठक हुई थी? यदि हां, तो उसमें प्रस्तावित विकास/निर्माण कार्यों व उन पर होने वाले अनुमानित व्यय सहित की गई सिफरिशों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा इन्हीं नियमों के नियम 15(2)(1)(C) के अनुसरण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में (Directly and Indirectly affected areas of mining operation) खान व खनिज कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों की आदिनांक तक सूची तैयार कर ली गयी है? यदि हां, तो तत्संबंधी सूचियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दिनांक 16 सितम्बर, 2017 की गवर्निंग कौन्सिल में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खान व खनिज कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 31 मई, 2016 को अधिसूचित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन रूल्स, 2016 के नियम 5 व 10 के अनुसरण में नियम में उल्लेखित पदीय सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.09.2017 से भीलवाडा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग कौन्सिल एवं मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को मनोनीत किया जा चुका है। प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि दिनांक 16 सितम्बर, 2017 को गवर्निंग कौन्सिल की बैठक हुई थी, बैठक में प्रस्तावित विकास/निर्माण कार्य, उन पर होने वाले व्यय की अनुमानित राशि व सिफारिशों का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि विभाग द्वारा इन्हीं नियमों के नियम 15(2)(I)(C) के अनुसरण में खनन संबंधित कार्यों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष

(राज्य मंत्री, खान)

रूप से प्रभावित (Directly and Indirectly affected areas by mining related operations) क्षेत्रों की आदिनांक तक सूची तैयार कर ली गयी है जो परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं।

(4) जी हां। दिनांक 16.09.2017 की गवर्निंग कौन्सिल में खनन संबंधित कार्यों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है, गवर्निंग कौन्सिल द्वारा अनुमोदित समस्त कार्य खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित है, विवरण परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)